HVS/CS/6

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 जून, 2004

खण्ड–2; अंक–1

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 21 जून, 2004

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 8
वाक आउट	(1) 15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(1) 16
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1) 26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अल्प अवधि चर्चा/स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	(1) 30
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(1) 32
राज्य में कैंसर के मामलों में अचानक वृद्धि सम्बन्धी वक्तव्य—	(1) 32
स्वास्थ्य राज्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(1) 32
घोषणाएं—	(1) 38
(क) अध्यक्ष द्वारा	(1) 38
(i) सभापतियों के नामों की सूची	(1) 38
(ii) याचिका समिति	(1) 38
(iii) सदस्यों के त्याग-पत्र सम्बन्धी	(1) 38
(ख) सचिव द्वारा	(1) 39
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 39

मूल्य : 88

वाक आउट	(1) 42
सदस्यों का नाम लेना	(1) 44
वाक आउट	(1) 47
शोक प्रस्ताव	(1) 47
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(1) 48
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(1) 48
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र	(1) 48
विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्ति तिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1) 50
(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, पूर्व विधायक (अब सांसद) के विरुद्ध	(1) 50
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, सदस्य के विरुद्ध	(1) 51
(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, विधायकों के विरुद्ध	(1) 52
(iv) श्री रघुबीर सिंह कादयान, सदस्य के विरुद्ध	(1) 53
वर्ष 2001-2002 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान	(1) 54
सरकारी संकल्प	(1) 55
एस०वाई०एल० नहर को पूरा कराने सम्बन्धी	(1) 55
वाक आउट	(1) 64
सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(1) 69
विधान कार्य	
(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐशन (नं० 3) बिल, 2004	(1) 69
(2) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1) 71
(3) दि पंजाब शिडयूल्ड रोड्ज एण्ड कण्ट्रोल ऐरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1) 72
(4) दि रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिचुअल ऑफैंडर्ज (पंजाब) हरियाणा रिपील बिल, 2004	(1) 74
(5) दि पंजाब हैबिचुअल ऑफैंडर्ज (कण्ट्रोल) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2004	(1) 76
(6) दि ईस्ट पंजाब मॉलैसिज (कण्ट्रोल) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2004	(1) 77
(7) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (पैरिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2004	(1) 79

UHS/lib/6

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21, जून, 2004

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now a Minister will make obituary references.

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन के आखिरी दिन के बाद से और आज की सिटिंग से पहले काफी महानुभाव जिनका सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनुभव रहा है और यह देश अब उनके अनुभवों से वंचित हो गया है क्योंकि वे अब संसार में नहीं रहे हैं उनके बारे में मैं विधान सभा में एक शोक प्रस्ताव रखता हूं।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा, सांसद

यह सदन सांसद गुरचरण सिंह टोहड़ा के 1 अप्रैल, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 सितम्बर, 1924 को हुआ। उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लम्बे समय तक सिख पन्थ की सेवा करने का गौरव हासिल हुआ। वह 1973 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष चुने गये और कुछ समय छोड़कर अपने निधन के समय तक लगातार वह इसके अध्यक्ष रहे। वह 1969 से 1976 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1977 में लोक सभा के लिये चुने गये। वह पुनः 1980 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य रहे । वह मार्च, 2004 में भी राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुए लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था।

वह आपसी सद्भावना और भाईचारे की प्रतिमूर्ति थे। वह साफ छवि और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य योगदान को सदा याद किया जाता रहेगा। वह कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं प्रमुख नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रीत सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रीत सिंह के 16 मई, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 मार्च, 1929 को हुआ। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1977-78 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हजार चंद कम्बोज, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हजार चंद कम्बोज के 9 मई, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 नवम्बर, 1919 को हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बालू राम, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बालू राम के 15 मई, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1924 में हुआ। वह 1954 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी पीर चंद, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी पीर चंद के 6 जून, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 26 सितम्बर 1925, को हुआ। वह 1972, 1977 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह कई बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्ष रहे, जिनमें हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड तथा हैफेड शामिल हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री रुद्रदत्त शास्त्री, सोनीपत।
2. श्री मंगतूराम, गांव बुढ़धाल, जिला महेन्द्रगढ़।
3. श्री हेमराज, गांव बाछौद, जिला महेन्द्रगढ़।
4. डॉ० संतोख सिंह, करनाल।
5. श्री फग्गुराम, गांव भूरेवाला, जिला अम्बाला।
6. श्रीमती कुसुम लता, अम्बाला छावनी।
7. श्री अमर सिंह, गांव बिंजलपुर, जिला अम्बाला।
8. श्री मुंशी राम, गांव सैनीवास, जिला भिवानी।
9. श्री ज्ञानी राम, गांव निगाना, जिला रोहतक।
10. श्री छोटे लाल, जिला गुड़गांव।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. फ्लाईट लैफ्टिनैंट गगन ओबराय, अम्बाला छावनी।
2. लैफ्टिनैंट वरूणा चौधरी, चाणक्यपुरी, रोहतक।
3. सहायक कमाण्डेंट बृजभूषण यादव, गांव जांटी, जिला रेवाड़ी।
4. इंस्पेक्टर बलवान सिंह, गांव नकीपुर, जिला भिवानी।
5. हवलदार सत्ते सिंह, गांव गिगनाऊ, जिला भिवानी।
6. हवलदार रामकिशन, गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर।
7. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव राजूभाजरा, जिला अम्बाला।
8. सिपाही, सुखविंदर सिंह, गांव प्रेम नगर, जिला अम्बाला।

[प्रो० सम्पत सिंह]

9. सिपाही ओमप्रकाश बागड़िया, गांव रामपुरा बागड़िया, जिला सिरसा।

10. सिपाही, कुलदीप सिंह, गांव सैय, जिला भिवानी।

11. सिपाही सन्नी अवतार, गांव चिकनधास, जिला हिसार।

12. सिपाही सत्यवान, गांव धंदेनी,जिला भिवानी।

13. सिपाही मेहर सिंह, गांव दोपरकलां, जिला यमुनानगर।

14. सिपाही बलजीत, गांव सुनारिया, जिला रोहतक।

15. सिपाही राजेन्द्र, गांव मानेसर, जिला गुड़गांव।

16. सिपाही अमरीक सिंह, गांव कोडवाखुर्द, जिला अम्बाला।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और आज के सत्र के समय के बीच में जो महानुभाव संसार छोड़कर चले गये उनको श्रद्धांजलि देने की परिपाटी इस सदन में है और वित्तमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सांसद सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा के एक अप्रैल, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 24 सितम्बर, 1924 को हुआ। उन्हें शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लम्बे समय तक सिख पन्थ की सेवा करने का गौरव हासिल हुआ। वह 1973 में शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष चुने गये और कुछ समय छोड़कर अपने निधन के समय तक लगातार वह इसके अध्यक्ष रहे। वह 1969 से 1976 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1977 में लोक सभा के लिए चुने गये। वह पुन: 1980 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह मार्च, 2004 में भी राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुए लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था।

वह आपसी सद्भावना और भाईचारे की प्रतिमूर्ति थे। वह साफ छवि और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य योगदान को सदा याद किया जाता रहेगा। वह कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं प्रमुख नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रीत सिंह के 16 मई, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1 मार्च, 1929 को हुआ। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1977-78 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री हजार चन्द कम्बोज के 9 मई, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1 नवम्बर, 1919 को हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बालू राम के 15 मई, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1924 में हुआ। वह 1954 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी पीर चन्द के 6 जून, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 26 सितम्बर 1925 को हुआ। वह 1972, 1977 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह कई बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्ष रहे, जिनमें हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड तथा हैफेड शामिल हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं कीं।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

[कैप्टन अजय सिंह]

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं श्री रुद्रदत्त शास्त्री, सोनीपत, श्री मंगतूराम, गांव बुढ़वाल, जिला महेन्द्रगढ़, श्री हेमराज, गांव बाछौद, जिला महेन्द्रगढ़, डा० संतोख सिंह, करनाल, श्री फग्गुराम, गांव भूरेवाला, जिला अम्बाला, श्रीमती कुसुम लता, अम्बाला छावनी, श्री असर सिंह, गांव बिंजलपुर, जिला अम्बाला, श्री मुंशी राम, गांव सैनीवास, जिला भिवानी एवम् श्री ज्ञानी राम, गांव निगाना, जिला रोहतक।

अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करते हैं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं। फ्लाईट लैफ्टिनैंट गगन ओबराय, अम्बाला छावनी, लैफ्टिनैंट वरुण चौधरी, चाणक्यपुरी, रोहतक, सहायक कमाण्डेंट बृजभूषण यादव, गांव जांटी, जिला रेवाड़ी, इंस्पेक्टर बलवान सिंह, गांव नकीपुर, जिला भिवानी, हवलदार सत्ते सिंह, गांव गिगनाऊ, जिला भिवानी, हवलदार रामकिशन, गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर, सिपाही कुलदीप सिंह,गांव राजूमाजरा, जिला अम्बाला, सिपाही, सुखविंदर सिंह, गांव प्रेम नगर, जिला अम्बाला, सिपाही ओमप्रकाश बागड़िया, गांव रामपुरा बागड़िया, जिला सिरसा, सिपाही कुलदीप सिंह, गांव सैय, जिला भिवानी, सिपाही सन्नी अवतार, गांव चिकनवास, जिला हिसार, सिपाही सत्यवान, गांव बंधेनी, जिला भिवानी, सिपाही मेहर सिंह, गांव टोपरकलां, जिला यमुनानगर, सिपाही, बलजीत, गांव सुनारिया,जिला रोहतक, सिपाही राजेन्द्र, गांव मानेसर, जिला गुडगांव, एवं सिपाही, अमरीक सिंह, गांव कोड़वाखुर्द, जिला अम्बाला।

अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा मैं सिपाही सुनील, गांव बिहरोड़, जिला झज्जर का नाम भी जोड़ना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है उनका नाम भी जोड़ लिया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करते हैं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्त मंत्री, प्रो० संम्पत सिंह जी ने जो शोक प्रस्ताव हाऊस में रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं । पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गयी हैं।

सबसे पहले मैं सांसद सरदार गुरचरण सिंह टोहरा के 1 अप्रैल, 2004 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1924 में हुआ और उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लम्बे समय तक सिख पंथ की सेवा की थ कुछ

समय को छोड़कर 1973 से ही शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे व लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे और निधन के समय भी वे राज्यसभा के सदस्य थे। सिख पंथ के धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता । पिछले 30 सालों से वे सिख पंथ की धार्मिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु रहे । उनके योगदान को सिख पंथ हमेशा ही याद करता रहेगा। उनके निधन से देश खासकर सिख समुदाय ने एक धार्मिक नेता खो दिया है।

श्री प्रीत सिंह हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री थे। वे 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1977-78 में मंत्री रहे। वे गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी विधायक तथा योग्य प्रशासक खो दिया है।

श्री हजार चन्द कम्बोज हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री थे। वे इस सदन में 1987 में चुनकर आये और 1990-91 में राज्य मंत्री रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी विधायक तथा योग्य प्रशासक खो दिया है।

श्री बालू राम संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। वे एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता थे।

चौधरी पीर चन्द हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य इस सदन में तीन बार चुन कर आये और वे कई महत्वपूर्ण बोर्डस तथा निगमों के अध्यक्ष रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी विधायक तथा योग्य प्रशासक खो दिया है।

जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम माननीय वित्तमंत्री, प्रो० सम्पत सिंह जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं उन सबके निधन पर मुझे गहरा दुख है। कोई भी देश स्वतंत्रता सेनानियों के दिए बलिदान को कभी भूल नहीं सकता और आज हम इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानियों के कारण आजाद हैं। इसके अलावा मुझे उन सभी वीर सैनिकों के शहीद होने पर बहुत दुख है जिन के नाम इस हाऊस में आये हैं। इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम सभी सुरक्षित हैं। किसी भी समाज के कल्याण के लिए शहीदों की कुर्बानियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

इनके अलावा श्री बंता राम, विधायक रादौर के भतीजे श्री सुबे सिंह को भी श्रद्धासुमन पेश करते हैं।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी । अब मैं इस सदन के सभी सदस्यों को दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्चन्ज होंगे।

Exploitation of Ground Water

***1780. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that the under-ground water is being drawn in excess by the farmers; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to check the exploitation of ground-water and re-charge the same?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू) : जी हां, श्री मान जी। जो कदम उठाए गए हैं उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'विवरण'

भूमिगत जल के दोहन को रोकने तथा इसके रीचार्ज के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित व उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

1. सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन परिषद का गठन किया है। जल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभाग इसके सदस्य हैं जिन द्वारा जल का सदुपयोग करने हेतु कार्ययोजनायें बनाई जा रही हैं।
2. फसल विविधीकरण के अन्तर्गत अधिक पानी वाली फसलों को कम पानी वाली फसलों से बदलने हेतु कार्यक्रम बनाया है।
3. जल दोहन क्षेत्र में रीचार्ज के लिए वर्षा जल भण्डारण संरचनाओं का निर्माण किया है।
4. सूक्ष्म स्तरीय सिंचाई पर ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में जल के सदुपयोग हेतु 82000 फव्वारा संयत्रों की स्थापना की जा चुकी है।
5. राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार, नाबार्ड के सहयोग से 1968.67 लाख रुपये की लागत से 13 रीचार्ज की स्कीमें बनाई हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं।
6. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु सभी भवनों जिनकी छत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक है, के लिए छतों से वर्षा के पानी को एकत्रित करके भू-जल रीचार्ज के लिए संरचनाएं बनाना अनिवार्य कर दिया है।
7. पानी का सदुपयोग करने के लिए जनता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो एरियाज डार्क होते चले जा रहे हैं क्या ऐसे इलाकों के लिए सरकार की तरफ से कोई पार्टीकुलर स्कीम अलग से बनायी गई है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जिन इलाकों में ज्यादा पानी दोहन होता है यानी 85 परसेन्ट तक दोहन होता है वे 47 खण्ड हैं और जिन इलाकों में 65 से 85 परसेन्ट तक पानी का दोहन होता है वे भी डार्क एरियाज में आते हैं, ऐसे एरियाज 17 खण्डों में चयनित किए गए हैं। जो डार्क एरियाज हैं उनमें सरकार की तरफ से जो हमारे कोआप्रेटिव बैंक्स हैं या जो सरकारी बैंक्स हैं उनकी तरफ से किसानों को लोन नहीं दिया जाता ।

श्री राम बीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मानसून के दौरान हमारे प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे एरियाज का पानी रोक कर उन इलाकों में दिया जा सकता है जहां पर पानी की मात्रा कम है। दक्षिणी हरियाणा के गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, और नारनौल आदि जिले हैं, को ऐसा पानी दिया जा सके, क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है ताकि दूसरे इलाके भी बाढ़ से बच सकें। क्या बाढ़ के इस पानी को रोक कर डार्क जोन के एरियाज में पानी देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जैसे पहले मैंने अपने जवाब में बताया है इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा नाबार्ड से सहयोग करके 1967.88 लाख रुपये खर्च करके रिचार्ज की 13 स्कीमें बनाई हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों का पूरा ब्यौरा मैं अभी सदन की सूचना के लिए बता देता हूं। ये स्कीमें नाबार्ड द्वारा स्पोंसर्ड स्कीमें हैं। भाग 'क' के तहत घग्गर सुखचैन लिंक का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इस पर 71.41 लाख रुपये खर्च हुए हैं। घग्गर सदेवा ममेरखेड़ा लिंक चैनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस पर 1390.19 लाख रुपये खर्च होंगे। मंगला डायरैक्ट माईनर का निर्माण 24.34 लाख रुपये के खर्च से पूर्ण हो चुका है। रंगोई खरीफ चैनल का निर्माण प्रगति पर है और इस पर 35.48 लाख रुपये खर्च होंगे । साथ में हिसार घग्गर मलकेपुर पौरट चैक का निर्माण 123.78 लाख रुपये की लागत से होगा और इसका कार्य प्रगति पर है। भाग "ख" के तहत केन्द्रीय भूजल-बोर्ड द्वारा स्वीकृत स्कीमों में ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में भू-जल को इंजैक्शन वैल तथा शाफ्ट द्वारा कृत्रिम रिचार्ज स्कीम पर 9.56 लाख रुपये की लागत आएगी और इसका कार्य प्रगति पर है। जिला कुरुक्षेत्र में किरमिच तथा समसपुर गांव में शाफ्ट द्वारा कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम पर 21.26 लाख रुपये खर्च होंगे और कार्य प्रगति पर है। जिला कुरुक्षेत्र में शाहबाद के समीप मारकण्डा नदी से भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम पर 27.71 लाख रुपये खर्च होंगे और कार्य प्रगति पर है। जिला पानीपत में गढ्ढों में शाफ्ट द्वारा भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम पर 16.96 लाख रुपये खर्च होंगे और इसका कार्य प्रगति पर है। कुरुक्षेत्र/अम्बाला में नरवाना ब्रान्च के साथ साईफन द्वारा भूजल के कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम के तहत 9.82 लाख रुपये खर्च होंगे और इसका कार्य प्रगति पर है। खण्ड महेन्द्रगढ़ के दरौली अहीर में जे०एल०एन० नहर से निष्कासित जल द्वारा भू-जल कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम पर 23.30 लाख रुपये खर्च होंगे और इसका कार्य प्रगति पर है। हमीद पुर बंद पर जल इकट्ठा कर हसनगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से निकाली लिंक चैनल के कृत्रिम रिचार्ज की स्कीम तथा हमीदपुर बंद पर इन्जैक्शन वैल्ज का निर्माण स्कीम पर 63.86 लाख रुपये खर्च होंगे और इसका कार्य प्रगति पर है। भाग "ग" के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीम के तहत भू-जल के रिचार्ज के लिए ड्रेन्ज में पक्की नाली की स्कीम के तहत 150 लाख रुपये खर्च होंगे तथा ड्रेन्ज पर 13 नालियां बन गई हैं तथा अन्य नालियां बनाई जाएंगी।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, माननीय कृषि मंत्री महोदय ने लिखित रूप से सदन को बताया है कि 82 हजार स्प्रिंकलर सैट लिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सिवानी और जूई कैनाल से स्प्रिंकलर सैट्स बेचे जा रहे हैं क्या सरकार इन स्प्रिंकलर सैटस को दोबारा से लगाने बारे विचार करेगी ?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कभी इस बारे में पहले कोई जिक्र नहीं किया है, इस बारे में हम पता करवा लेंगे और इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री रमेश राणा : स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में मेरे क्षेत्र के अन्दर नहर का निर्माण हुआ था और इस नहर के जरिये भिवानी को पानी दिया गया था। उस नहर से ऊपर बहुत बड़े-बड़े बोरिंग करके मेरे क्षेत्र से पानी निकाल कर उस नहर में डाला गया था आज स्थिति यह है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर भयन्कर सूखे की स्थिति है तथा वहां का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोग से उनके द्वारा एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा के अन्दर लाने का प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं कि एस०वाई०एल० से पानी लेकर भिवानी और रिवाड़ी का ऊपर का जो सूखा ऐरिया है उसकी सिंचाई की जाए और मेरे क्षेत्र के अन्दर जो बड़े बड़े बोरिंग करके ट्यूबवैल्ज लगा कर उनका पानी नहर में डाला गया है वह पानी उस नहर में डालना बन्द किया जाए। हरियाणा प्रदेश के अन्दर आज एस०वाई०एल० का पानी आने को है। मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ट्यूबवैल वाली स्कीम को बन्द करने के बारे में क्या सरकार की कोई स्कीम है ? अगर ऐसी कोई स्कीम नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस बारे में गौर करे (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991 में मैं जब पहली बार हरियाणा विधान सभा का सदस्य चुन कर आया था तो मैंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा करनाल से जाने वाली नरवाना ब्रान्च के दोनों किनारों पर चौधरी बंसी लाल जी जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो एस०आई०टी०सी० के द्वारा नरवाना ब्रान्च के दोनों किनारों पर बड़े-बड़े ट्यूबवैल्ज लगा दिए गए थे जिसकी वजह से लगातार हमारा भू-जल स्तर गिरता गया है। मैंने पिछली सरकारों के वक्त में यह बात कही थी कि उनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमारे इलाके का बहुत नुकसान हो चुका है। आज वाटर लैवल 70-70 और 75-75 फुट नीचे चला गया है। हमारे से पहले की दोनों सरकारों के दौरान इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज की लाईफ 25-30 साल की होती है। सर, उन ट्यूबवैल्ज के फिल्टर चोक हो गए हैं, ज्यादातर तो बंद हो गए हैं। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो स्थानीय फार्मर्ज हैं उनको ही वे ट्यूबवैल्ज दे दिए जाएं ताकि वे अपने खेतों में पानी का प्रयोग कर सकें। यह विचार सभी को बता दिया गया है लेकिन फार्मर्ज की तरफ से अभी तक कोई रिस्पोंस नहीं आया है। अभी भी यह स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे बड़े चैनल्ज बरवाला ब्रांच और नरवाना ब्रांच है, वहां पर बहुत सीपेज होती है। क्या इसके पानी को रिचार्ज करने के लिए कहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीपेज की बात है, ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं आई है। अभी तो वहां पर पानी निकाल कर डाला जा रहा है फिलहाल रिचार्ज की कोई बात ही नहीं है। यह बात तो तब आती जब पानी निकालकर बंद किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ट्यूबवैल्ज़ का पानी नहर में डालने को बंद करने वाली बात कर रहे हैं हम इस बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, जो डार्क एरिया है और उस के लिए हम सभी बहुत ही चिन्तित हैं इसके अलावा सीपेज की वजह से बड़ी भारी प्रोब्लम है। हमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे कि उस पानी की यूटिलाईजेशन रिचार्ज के लिए की जा सकती है और अगर की जा सकती है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी ?

सरदार जसविन्द्र सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाबार्ड की जिन स्कीमों का जिक्र किया है उनके अन्दर दो ऐसी स्कीमें आ रही हैं जो हमारे डार्क एरिया के अन्दर ही चलाई जा सकेंगी और जिसके अन्दर रिचार्ज किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो जोहड सिल्ट से भर जाते हैं उनकी खुदाई करवाई है जिसकी वजह से अब ज्यादा पानी रिचार्ज हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, स्प्रिंकलर सैट्स की स्कीम किन किन जिलों के लिए है ?

सरदार जसविन्द्र संन्धू : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम कहीं पर भी बंद नहीं की गई है, जहां पर कोई फार्मर स्प्रिंकलर सैट लेना चाहता है, वहां पर उसको यह सैट दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट क्वैश्चन, कैप्टन अजय सिंह यादव।

कैप्टन अजय यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के बारे में सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप अपना नैक्सट प्रश्न पूछें। उस पर सप्लीमैंटरी पूछ लेना। यह प्रश्न पूर्ण सिंह जी का था और उनको कई सप्लीमैंटरीज पूछने का मौका दिया गया है। आप अपना प्रश्न पूछें और उस पर अपनी सप्लीमैंटरीज भी पूछ लेना।

Providing of Drinking Water

*1782. **Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) Whether any norms for providing of drinking water in Rural and Urban areas in the State have been laid down; if so, the details thereof ; and

(b) whether the Government is aware of the fact that the drinking water is not being provided as per norms in Rural and Urban areas in the State; if so, the reasons thereof, togetherwith the steps taken or proposed to be taken to provide adequate drinking water as per norms ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :—

(क) हां, श्रीमान् जी। भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के वितरण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मानदण्ड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसी तरह 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में न्यूनतम मानदण्ड 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

(ख) हां, श्रीमान् जी, हरियाणा के कई गांवों तथा कस्बों में इस समय पेयजल वितरण स्तर कई कारणों से इन मानदण्डों से नीचे आ गया है, जिनमें स्त्रोतों में कमी का होना, जनसंख्या में वृद्धि, जल गुणवत्ता में कमी, पुराने रिहायशी स्थलों के साथ नई आबादी का विकसित होना तथा कई वर्षों से लगातार उपयोग होना सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ऐसे गांवों तथा कस्बों में जलापूर्ति की बढ़ौतरी के कार्यक्रम को जारी रखने बारे वचनबद्ध है। प्रत्येक वर्ष बहुत से गांवों तथा कुछ शहरों में जल वितरण की बढ़ौतरी के प्रोग्राम सम्मिलित किये जाते हैं। वर्ष 2004-2005 में लगभग 400 गांवों, 6 छोटे शहरों तथा 2 अन्य शहरों में मानदण्डों तक जल वितरण की बढ़ौतरी प्रस्तावित है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जबाव में शहरों के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में चालीस लीटर, 70 और 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के पानी को देने का मानदण्ड बताया है। इन्होंने यह भी कहा है कि यह मानदण्ड कहीं कहीं पर नीचे भी चला गया है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक कालूवास गांव है जहां पर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच रहा है वह एक हजार की आबादी वाला गांव है। इसी तरह से बुढ़पर और लाखनौर भी ऐसे गांव हैं जहां पर मैं समझता हूं केवल पांच लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से जा रहा है। इसी तरह से मेरे यहां पर बहुत सी ऐसी कालोनीज हैं जहां पर पानी बहुत कम पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप स्पैसिफिक कालोनीज के बारे में पूछिए। आप उनके नाम बताएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं नाम ही बता रहा हूं। रिवाड़ी शहर के अंदर शिव कालोनी है, रामसिंहपुरा और विकास नगर आदि कालोनीज हैं जहां पर पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कम पानी पहुंचने के क्या कारण हैं ? सरकार ने जो नोर्म्ज रखे हुए हैं उनके मुताबिक लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है ? स्पीकर सर, यह तो सबसे जरूरी चीज है क्योंकि पानी के बगैर तो काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में जबाव दें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, कारण तो इस बारे में मैंने अभी अपने जबाव में बताए हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जल स्त्रोतों में कमी आयी है, जल की गुणवत्ता में कमी आयी है और पुराने रिहायशी स्थलों के साथ नयी कालोनीज आबाद हो गयी हैं। स्पीकर सर, इतना ही नहीं हरियाणा प्रदेश में 1640 गांव इस तरह के हैं जहां पर बीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी की सप्लाई है। मैं इनकी जानकारी के लिए विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि जो 6759 गांव हैं उनमें पानी की स्थिति इस प्रकार से है 361 गांव ऐसे हैं जहां पर 70 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन से भी अधिक पानी की सप्लाई है, 945 गांव ऐसे हैं जहां पर 56 लीटर से लेकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पहुंच रहा है, 3783 गांव ऐसे हैं जहां पर चालीस लीटर से लेकर 55 लीटर तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पहुंच रहा है, 1261 गांव ऐसे हैं जहां पर 21 लीटर से 39 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर 379 गांव ऐसे हैं जहां पर बीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम पानी है इस तरह से ये कुल मिलाकर 1640 गांव ऐसे हैं। स्पीकर सर, 1992-93 में सारे हरियाणा में पेयजल की सुविधाएं देने के लिए एक सर्वे किया गया था। 1992-93 में जब इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट आयी तो पाया गया कि 3623 गांव ऐसे थे जिनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम पानी पहुंच रहा था। स्पीकर सर, 2003 में एक और सर्वे करवाया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जिन गांवों में बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं पहुंच रहा हैं क्या मंत्री जी ने उनके बारे में बताया है? मंत्री जी उनके बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपको बोलने का फिर मौका मिलेगा। आप बैठें । मंत्री जी आपकी पूरी तसल्ली करेंगे।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं तो मान रहा हूं कि 1640 ऐसे गांव हैं जो प्रोब्लम विलेजिज हैं । उनमें से मैंने इनको बताया कि चार सौ गांव हमने अब की बार लिए हैं जिनकी समस्या खत्म कर दी जाएगी। बाकायदा इस तरह का साल भर का टारगेट रखा जाता है कि अब की बार इतने गांव और आए। आए वर्ष गावों में बढ़ौतरी का कार्यक्रम केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों की कलोब्रेशन से चलता है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपीचन्द गहलौत) : स्पीकर साहब, जो पीने के पानी की कमी से बुरी तरह से इफैक्टिड एरियाज हैं उनमें मेरा क्षेत्र गुड़गांव और मेवात का भी एरिया है। क्या इन इलाकों के लिए पीने के पानी के बारे में कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है? विशेषकर जैसे आई०एम०टी० मानेसर में बन रहा है और गुड़गांव आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और वहां के लिए पीने के पानी की सुविधा का होना बहुत जरूरी है। वहां पर जो कैनाल बेस्ड स्कीम है वह कम से कम 15 साल पुरानी है उसमें मात्र एक टैंक बन पाया है और दूसरा टैंक निर्माणधीन है। मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह कब तक पूरा हो जाएगा? मैं यह भी चाहूंगा कि इस कैनाल की कैपेसिटी कम से कम तीन गुनी की जाए ताकि गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों की पीने के पानी की जरूरतें पूरी हो सकें। इसके लिए और मेवात के इलाके के लिए क्या कोई स्कीम विचाराधीन है ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां बसई और धनकोट में ये टैंक बने हुए हैं वहां का वाटर लैवल आज इतना ऊंचा आ चुका है कि वहां पर आज नए टैंक नहीं बन सकते, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई स्कीम विचाराधीन है ?

श्री रामपाल माजरा : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने विशेष तौर पर जिन गांवों का नाम उद्धृत किया है उसके बारे में मैं डिप्टी स्पीकर साहब से इतना की कहना चाहूंगा कि मेवात के लिए पीने के पानी की स्कीम के बारे में यहां पर डिसकशन हुआ था। गुड़गांव के लिए भी पिछली बार पीने के पानी की स्कीम का यहां पर डिस्कशन हुआ था। इन्होंने विशेष तौर से जो प्वायंट

[श्री रामपाल माजरा]

उठाए हैं और जो जानकारी चाही है वे लिखकर दे दें, उनको वह जानकारी दे दी जाएगी। वर्ष 2004-2005 में 400 गांवों का टारगेट रखा गया है कि इन गांवों में जल की आपूर्ति की अगुमैंटेशन की जाएगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, माजरा जी काबिल वजीर हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐलनाबाद में 1977 में चौधरी देवीलाल जी ने एक वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया था और उसका उद्घाटन भी चौधरी साहब ने किया था और वह रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया है। उस वाटर वर्क्स को सुन्दर बनाने के बारे में क्या कोई विचार किया जा रहा है क्योंकि इसकी इच्छा चौधरी देवीलाल जी की भी थी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ऐलनाबाद में नीचे का पानी खारा है इसलिए क्या ऐलनाबाद के लोगों को किसी नहर का पानी देने बारे विचार किया जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पानी पीने के उद्देश्य से स्कीमें बनाई जाती हैं न कि सुन्दरता की दृष्टि से । वहां पानी की ऐवेलेबिलिटी है और वहां पानी ठीक ठाक मिल रहा है। जहां तक उसकी सुन्दरता का सवाल है, इसके लिए ये अलग से नोटिस दे दें तो इनको बता दिया जाएगा कि उसको सुन्दर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे प्रश्न सुन्दरता का नहीं है बल्कि पानी सप्लाई करने का है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है तब से अब तक यानि 1999 से अब तक कितने वाटर वर्क्स बनाए गए हैं और 1991 से 1999 तक कितने वाटर वर्क्स बनाए गए थे ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्रश्न किया है कि कितने वाटर वर्क्स बनाए गए हैं तो इसकी पूरी डिटेल मैं अगर बताउंगा तो बहुत लम्बा समय लगेगा फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999 तक 11 शहरों के लिए स्कीमें पास की गई थीं। वर्ष 2004-05 में 20 शहरों के लिए यानि वर्ष 2001,2002 और 2003 में 20 शहरों की स्कीमें पास की गई हैं जिन पर काम पूरी तत्परता से चल रहा है। जिस प्रकार से नारायणगढ, सिवानी, बवानी खेड़ा, फिरोजपुरझिरका, रतिया, पटौदी, सोहना, नूंह, हेलीमण्डी, लाडवू, पुण्डरी, इन्द्री, पिंजौर और पंचकूला में 70 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी अधिक दिया गया है उसी तरह 11 शहर उचाना, बेरी, कलायत, लाडवा, महेन्द्रगढ, समालखा, थावल, कलानौर, कालांवाली, खरखौदा, महम में भी 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देने के लिए कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से वर्ष 2004-05 में उचाना, बेरी, कालांवाली, समालखा, महम, कलानौर में जलवितरण बढौतरी का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अन्य शहरों करनाल, यमुनानगर, भिवानी में पेयजल स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पहले ही दिया गया है। बहादुरगढ, गोहाना, सोनीपत,रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, हिसार, रिवाड़ी, नरवाना, कैथल और अम्बाला में कार्य प्रगति पर है।

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह सांगवान जी जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा खाता है, इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा इस बारें में मैं विशेष तौर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि इनको यह जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं यह बता रहा हूं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए जिन स्कीमों के तहत प्रोग्राम जारी है उनमें से ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम जो चल रहे हैं जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है यह कार्यक्रम राज्य योजना के अन्तर्गत चलाया जाता है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम है जो सभी डिस्ट्रिक्टस में चल रही हैं। इस कार्यक्रम के अंदर शत-प्रति-शत सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है इसमें भाखड़ा 90 प्रतिशत ऋण देता है और दस प्रतिशत राज्य सरकार योगदान देती है। त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है, इसमें शतप्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है और यह सभी जिलों के लिए है। सूखा ग्रस्त विकास कार्यक्रम के तहत हिसार, फतेहाबाद,सिरसा, रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी में यह कार्यक्रम चल रहा है और यह शत-प्रतिशत सैन्ट्रल स्पौंसर्ड प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, झज्जर,भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी में स्वजल धारा कार्यक्रम चल रहा है इसमें 90 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का व 10 प्रतिशत राज्य सरकार का है। शहरी पेयजल योजना है इसमें त्वरित शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम में राज्य का पचास प्रतिशत व केन्द्र का पचास प्रतिशत हिस्सा होता है। 11वें वित्त आयोग में राज्य सरकार का 0 और केन्द्र सरकार का 100 प्रतिशत हिस्सा हैं। शहरी जलापूर्ति राज्य योजना में राज्य का 100 प्रतिशत व केन्द्र का 0 प्रतिशत हिस्सा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में राज्य का 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है इस योजना के तहत शहरी ग्रामीण लोगों को जल देने की योजना बनाई गई है जिसमें से केन्द्र ने (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमिशन लिए बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेन क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है इसलिए मुझे इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने दो तीन सप्लीमैंट्री पूछ ली हैं इसलिए अब आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, यदि आप मुझे इस पर और सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नहीं देंगे तो हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्यों में से श्री भजन लाल और श्री धर्मबीर के अतिरिक्त बाकी सदस्य सदन से उक्त प्रश्न के बारे में और सप्लीमैंट्री न पूछने दिए जाने के विरोधस्वरूप वाकआउट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Number of New Roads constructed in Hathin Constituency

*1786. **Shri Bhagwan Sahai Rawat** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of new roads constructed and repaired in the Hathin Constituency during the year 2000 till-date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): श्रीमान् जी, हथीन निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2000 से मई, 2004 तक 15 नई सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 48.65 कि०मी० है, का निर्माण किया गया है और 78 सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 247.04 कि०मी० है, की मरम्मत की गई है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो विवरण मंत्री जी ने दिया है उसमें नयी सड़कें जिनकी लम्बाई 48.65 किलोमीटर बताई है (शोर एवं व्यवधान) वे 78 सड़कें हैं जिनकी लम्बाई 247.04 किलोमीटर बताई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 15 सड़कें नयी बनाई गई हैं उनका ब्यौरा क्या है ? जो सड़कें नयी बनाई गई हैं या जिनकी रिपेयर की गई है वह किन किन एजेंसियों से बनवाई गई हैं ? होडल, नूंह और पलवल से हथीन पुराना रोड़ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है क्या उसकी लम्बाई भी इसमें शामिल है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये सड़कें कब तक पूरी कर ली जाएंगी ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस प्रदेश का कोई ख्याल नहीं रखा है इनके वक्त में जिन सड़कों की मरम्मत कराई गई है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। भगवान सहाय रावत जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं उसी का रिप्लाई देने जा रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की रिपेयर के बारे में बताना चाहूंगा। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बैठ जाईये आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा उस समय आप अपनी बात रख लेना । आपकी मन्शा को अखबार वाले भी समझते हैं इसलिए वे भी कोई रिकार्ड नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप बैठ जाईये।

श्री रामपाल माजरा : चौधरी भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय 368 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च हुए, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय 555 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के साढ़े चार साल के समय में 2145 करोड़ रुपये खर्च हुए इस सरकार में ऐसी सड़कें बना दी गई जिन पर जहाज भी दौड़ाया जा सकता है। आज हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारी सड़कों की चर्चा है। पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनियां में हमारी सरकार की चर्चा है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सड़कों की रिपेयर कौन सी एजेंसी द्वारा करवाई है और कितनी नई सड़कें बनाई हैं, मैं उनको यह जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाईये, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। जो सदस्य चेयर की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पानी की तसल्ली भी कर देंगे, सड़कों की तसल्ली भी कर देंगे। विपक्ष के साथियों को चौधरी देवीलाल जी का शुक्रगुजार होना चाहिये जिन्होंने 24-4-1979 को हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज उठाई और 4 जून को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर लगवाई जिसमें एस०वाई०एल० के पानी का फैसला हमारे पक्ष में गया। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा दक्षिणी हरियाणा को होगा, गुड़गांव को होगा, भिवानी को होगा, हिसार को होगा, झज्जर को होगा, बेरी को होगा, रोहतक को होगा और रेवाड़ी को होगा जहां तक सड़कों की बात है। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाईये, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। जो सदस्य चेयर की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें द्वारा की गई सड़कों का निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है। खाईका से ईडाना की कोठी की सड़क की 2.33 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 7 लाख 21 हजार रुपये हुआ है, लोहिना से सराय बाया सेवली की सड़क की 5.78 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 12 लाख 95 हजार रुपये हुआ है, गोहपुर से मोदमका बाया गुराक्षर की सड़क की 3.54 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 43 लाख 27 हजार रुपये हुआ है। एच०एस०ए०एम०बी० द्वारा जिन सड़कों का निर्माण किया गया है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :- सिक्षा से नांगल की सड़क की 1.00 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 5 लाख 97 हजार रुपये हुआ है, नांगल सभा से लफूरी की सड़क की 2.50 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 14 लाख 95 हजार रुपये हुआ है, मानपुर से नगंला की सड़क की 1.62 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 10 लाख 34 हजार रुपये हुआ है, ढकोरा से भरोली की सड़क की 3.00 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 18 लाख 84 हजार रुपये हुआ है, पहाड़ी से खिल्लुका की सड़क की 3.07 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामपाल माजरा]

का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 18 लाख 72 हजार रुपये हुआ है; तूमसरा से शलाका रेलवे स्टेशन की सड़क की 3.50 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण का कार्य किया गया है जिस पर कुल खर्च 23 लाख 85 हजार रुपये हुआ है, इसी तरह बजादा पहाड़ी से बामरोला जोगी तक की 2.63 किलोमीटर लम्बी सड़क पर 16.54 लाख रुपये, बन्चारी से गढ़ोला तक की 4.40 किलोमीटर की सड़क पर 30.73 लाख रुपये, रींडका से कलसाड़ा तक की 2.57 किलोमीटर की सड़क पर 12.16 लाख रुपये, गहलब से रींडका तक की 3.60 किलोमीटर की सड़क पर 22.93 लाख रुपये, कौंडल से औरंगाबाद की 5.11 किलोमीटर की सड़क पर 32.73 लाख रुपये, सौंध से डाडका तक की 4.30 किलोमीटर की सड़क पर 24.65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं यानि 2 करोड़ 95 लाख 84 हजार रुपये इन सड़कों पर टोटल खर्च किए गए हैं। यह बहुत लम्बी लिस्ट है। मेरे ख्याल से भगवान सहाय रावत जी आपको पता ही होगा क्योंकि आप खुद वहां आते जाते रहे हैं, पहले सड़कों की हालत बहुत खराब थी और अब इन सड़कों की ठीक ढंग से व्यवस्था करके रिपेयर कर दी गई है। उसके बाद 1999-2000 में होडल से पुन्हाना नगीना सड़क, होडल कोट नूंह, कौण्डल पहाड़ी सड़क से मानपुर, नूंह-हथीन से रनसीका, औरंगाबाद से गहलब, सौंध से कोट वाया अंघोप, आलीमेद व पाउसर, दिल्ली मथुरा सड़क से मानपुर वाया सेवली, अहेरवां से सांपनकी वाया बीच पुरी, हथीन से कौण्डल, गहलब से कौण्डल, पलवल हथीन उटावड़ से खिलूका, मंडकौला हथीन से आलूका, लिंक रोड से बजादा पहाड़ी, होडल कोट नूंह से जलालपुर, लिंक रोड से कौण्डल, लिंक रोड मंगीरका, लिंक रोड से फिरोजपुर राजपुरा, लिंकरोड से जैनपुर, लिंक रोड से जनाचोली, लिंक रोड से हुथपुरी खुर्द और लिंक रोड से हुडीथल तक की सड़कों की मरम्मत की गई हैं।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ग्रामीणों की मांग पर नांगल जाट, आली ब्राह्मण, बहीन से हथीन वाया कसरेआ खेड़ा, बहीन से लौधना सड़कें मंजूर की गई थीं, वहां अर्थ वर्क घोषणा के अनुसार करवा दिया गया है, इन सडकों को कब तक बनाने की योजना है ? साथ ही मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि हथीन उटावड़ रोड जो 22.50 किलोमीटर की थी उस पर 195 लाख रुपये खर्च होने थे और उसका काम 7-1-04 तक कम्पलीट होना था लेकिन सर्दी की वजह से यह सड़क ठीक नहीं बन पाएगी और अब बरसात का मौसम आने वाला है, उसकी दूसरी एक्सटैंशन की डेट 30-6-2004 थी वह भी समाप्त होने जा रही है। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी बताएंगे कि पलवल से हथीन और उटावड़ तक की ये सड़कें जिनका अर्थ वर्क मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार पूरा हो गया है कब तक पूरी हो जाएंगी ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा जो घोषणाएं हुई हैं उन पर सर्व-रोजगार योजना के तहत जो थर्ड फेस में हैं उन पर अर्थ वर्क यानि मिट्टी का काम कर दिया गया है, ज्यों ही ये रिपोर्ट आ जाएगी कि उन पर अर्थ वर्क हो गया है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी जाएगी और उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इस के साथ मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो सड़कें 2004 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, और सर्दी की वजह से नहीं बन पाई भी उसका काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

Assistance received from NABARD

***1794. Shri Pawan Kumar Diwan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any NABARD assistance has been received for augmentation of drinking water during the year 2003-2004 (up-till now); if so, the district-wise number of villages covered under the sanctioned projects ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : जी हां श्रीमान् । सदन के पटल पर एक स्टेटमैंट रखी गई है।

"विवरण"

क्रम० संख्या	जिला का नाम	स्वीकृत प्रोजैक्टों के अन्तर्गत गांवों की संख्या
1.	सिरसा	83
2.	झज्जर	47
3.	रोहतक	14
4.	कुरुक्षेत्र	97
5.	जीन्द	56
6.	रिवाड़ी	10
7.	महेन्द्रगढ़	14
8.	भिवानी	59
9.	अम्बाला	77
10.	कैथल	26
11.	पानीपत	34
12.	सोनीपत	33
13.	गुड़गांव	31
14.	पंचकूला	14
15.	फतेहाबाद	99
	कुल	**694**

श्री पवन कुमार दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इनके अलावा भी कुछ और स्कीमें नाबार्ड के पास सैंक्शन के लिए पैण्डिंग हैं ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने पटल पर रखी सूची में यह तो देख ही लिया कि 694 गांवों की योजना नाबार्ड ने स्वीकृत की है और लगभग उन सभी पर कार्य भी चालू हो गया है और 140.3 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय साथी ने पूछा है कि क्या इस तरह की योजनाएं और गांवों के लिए भी बनाई गई हैं। इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि 600 गांवों की इसी तरह की योजनाएं बनाकर नाबार्ड की स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूषित पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में जो नहर बेस्ड वाटर वर्क्स हैं और उन वाटर वर्क्स में जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाये गये हैं उनमें ऐसे कितने वाटर वर्क्स हैं जिनके फिल्ट्रेशन प्लांटस की पिछले 3 साल से सफाई नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांटस की लिस्ट मंगाकर उनकी सफाई करवाई जाये।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सभी वाटर वर्क्स की और उनके फिल्ट्रेशन प्लांटस की समय-समय पर चैकिंग होती है और उनमें समय-समय पर दवाईयां डालकर उनकी सफाई भी की जाती है। इस बारे में शिडयूल बना हुआ है उसी के हिसाब से सफाई कर दी जाती है। जैसा माननीय साथी ने बताया है हमारे नोटिस में उस तरह का कोई वाटर वर्क्स नहीं है, यदि माननीय साथी के नोटिस में इस तरह का कोई वाटर वर्क्स है तो वे हमें बता दें कि फलां जगह पर इस तरह की प्रोब्लम है हम जल्दी से जल्दी उसकी सफाई करवायेंगे। हमारी सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है कि प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और जनता को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले और पानी की वजह से किसी का स्वास्थ्य खराब न हो और बीमारियां न फैलें।

प्रो० रामभगत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा जी से पूछना चाहूंगा कि नारनौंद में 2.50 करोड़ रुपये की कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स स्कीम बनी थी उसको टैक्नीकल कमेटी ने पास नहीं किया। वहां का अंडर ग्राउंड वाटर पीने के काबिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि यह स्कीम कब तक मंजूर हो जायेगी ताकि वहां के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके ?

श्री राम पाल माजरा : सर, इस बारे में रामभगत जी का सवाल आगे आ रहा है। नारनौंद के लिए वास्तव में स्कीम मंजूर हुई है और उस पर काम भी हुआ है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है लेकिन इस बारे में इनका सवाल आ रहा है उसी समय इस बारे में बता दिया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से पूछना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जितने भी वाटर वर्क्स हैं उनका पानी स्वच्छ रहे, उसके लिए जो दवाईयां वाटर वर्क्स में डाली जाती हैं क्या वे सुचारू रूप से डाली जा रही हैं ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का सवाल भी नफे सिंह राठी जी के सवाल से ही संबंधित है। इस बारे में मैंने पहले भी बताया है। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वाटर सर्विसिज के जितने भी यूनिटस या सब-यूनिटस हैं उनको बाकायदा चैक किया जाता है, सबके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में सभी को पीने का स्वच्छ पानी मिलने लगा है और गांवों की प्रोब्लम घटने लगी हैं।

Augmenting the capacity of Tau Devi Lal Thermal Power Station, Panipat

***1804. Shri Padam Singh Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity of Tau Devi Lal Thermal Power Station, Panipat; if so, the details, thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां श्रीमान्। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 250-250 मैगावाट क्षमता की 7वीं तथा 8वीं ईकाई, स्थापित की जा रही है जिससे इस पावर स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता 860 मैगावाट से बढ़कर 1360 मैगावाट हो जायेगी।

श्री पदम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये यूनिट्स कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे और इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, इन यूनिट्स पर 1785.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेरे माननीय साथी ने यह जानना चाहा है कि ये यूनिट्स कब तक बनकर तैयार होंगी, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 7वीं यूनिट 25-10-2004 तक काम करना शुरू कर देगी। इसी प्रकार से 8वीं यूनिट 25-2-2005 तक चालू हो जायेगी। मुख्यमंत्री जी इस मामले से जुड़े हुए हैं और हर महीने रिव्यू करते हैं इन यूनिट्स के लिए जो समय रखा गया है वे उससे पहले ही इन्हें शुरू करना चाहते हैं यह अपने आप में एक रिकार्ड होगा। 31 महीने और 35 महीने का समय क्रमशः 7वीं और 8वीं यूनिट के लिए रखा गया था उससे पहले ही ये दोनों यूनिट्स काम करना शुरू कर देंगी।

Construction of Express Highway from Palwal to Kundli

***1789. Shri Suraj Mal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the construction of Express Highway from Palwal-Gurgaon to G.T. Road Kundli ; if so, the time by which it is likely to be completed?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां श्रीमान् जी, एक्सप्रैस हाइवे बनाने का प्रस्ताव, जिसकी लम्बाई 130 कि०मी० के लगभग है, जो कि कुण्डली राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 से शुरू होकर बहादुरगढ़ के पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 से होकर बादली को राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 पर बिलासपुर जंक्शन, सोहना और पलवल पर राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 को मिलायेगा यह परियोजना अभी मलेशिया सरकार के साथ बातचीत के स्तर पर है, इसलिए अभी इस परियोजना के पूरा होने का समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी सूरजमल जी आप कोई सप्लीमेंटरी पूछना चाहेंगे ?

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

Widening of National Highway No.-10

***1805. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the widening work of National Highway No :-10 from Bahadurgarh to Rohtak is likely to be started?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां श्रीमान् जी, राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 बहादुरगढ़ से रोहतक तक को चौड़ा करने के कार्य को शुरू करने के लिए निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि फिजी के भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी महेन्द्र सिंह जी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी के साथ रोहतक आए थे। उस वक्त श्री वाजपेयी जी ने बहादुरगढ़ से रोहतक वाली सड़क को फोर लेन बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को हुए काफी समय हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सड़क बनाने की स्कीम रिकार्ड में है या नहीं और यदि है तो इस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इस सड़क को बनाये जाने का समय निश्चित नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह सड़क सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है। मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस सड़क को बनाये जाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जानी थी वह भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। इस सड़क को फोर लेन बनाने के लिए सेन्ट्रल सरकार ने 16.40 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए हैं। जब भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है तो यह सड़क बननी अवश्य है। लेकिन सेन्ट्रल सरकार ने अपना काम प्रायरिटी के आधार पर देखना है। अब यह काम भारत सरकार का है कि इसको पहले बनाते हैं या बाद में बनाते हैं। यह मामला सेन्ट्रल सरकार का है इसलिए इसमें प्रान्तीय सरकार कुछ नहीं कर सकती और न ही इसके लिए कोई निश्चित समय प्रान्तीय सरकार दे सकती है कि डैफिनेटली फलां समय तक यह सड़क बन जायेगी।

चौ० नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ रोहतक सड़क पर सालभर में सैंकड़ों आदमी एक्सीडैंटस की वजह से घायल होते हैं अथवा मरते हैं इसलिये यह जरूरी है कि उस रोड को चौड़ा किया जाए क्योंकि इस रोड पर व्हीक्लज बहुत ज्यादा चलते हैं। मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ रोहतक रोड़ को चौड़ा करने के साथ ही साथ क्या इसमें नया बाईपास बनाना भी शामिल है और यदि हां तो इस पर कितना खर्च आएगा ?

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जहां तक इस रोड के ऐस्टिमेट्स का ताल्लुक है, पहला ऐस्टिमेट भूमि अधिग्रहण के लिए 16.40 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है और भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। जहां तक इस रोड़ को पूरा करने का सम्बन्ध है, इस रोड पर 110 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके बारे में समय और बजट के लिए गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने ही बताना है वे कब और कितना पैसा देंगे उसके बाद ही हम काम शुरू कर पाएंगे।

श्री बलवन्त सिंह मायना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस के अन्दर बताना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नं०10 की चर्चा चल रही है और मेरे से पहले विधायक श्री नफे सिंह राठी जी ने रोहतक बहादुरगढ़ रोड का जिक्र किया है। (इस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय

के हाउस में प्रवेश करने पर मेजें थपथपाई गईं) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सांपला से खरखौदा झज्जर जो रोड जाती है उस पर हर रोज हादसे होते हैं। लगभग 20 दिन पहले की बात है सांपला बाई पास पर दो जबरदस्त हादसे हुए थे। दो-ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई थी और कैंटर के अन्दर दो आदमी जल कर गुजर गए थे। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने चर्चा की थी और उनके आदेश से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर वहां पर तुरन्त मिट्टी डालने का काम कर दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस में कोई भी दिक्कत लाई जाती है तो वे उसका फौरन नोटिस लेते हैं । वैसे तो इस बाईपास को पक्का करने का काम सैंट्रल गवर्नमैंट के महकमें का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार सिफारिश करके या दबाव डाल कर इस रोड का काम और बाईपास का काम कब तक करवाने की कृपा करेगी ? मेरे हल्के में एक वाटर वर्क्स है और उस रोड से दूसरी साईड में जौहड है जहां पशु पानी पीने के लिए तथा औरतें पानी लेने के लिए तथा जाती हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए जाने का रास्ता भी है। डिप्टी स्पीकर सर, मैंने खरखौदा और झज्जर की चर्चा की वह सड़क से ऊपर हो कर है और लोगों को रोड से होकर जाना पड़ता है जिसके कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। क्या उस सड़क के नीचे से ओवर ब्रिज बनाकर उस जौहड तक रास्ता बनाया जा सकता है जिससे पशुओं के पानी पीने के लिए लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता हो सकता है इसी रास्ते से सांपला, बेरी, झज्जर को रास्ता जाता है और ट्रैक्टर ट्रालियां इस रास्ते से गुजरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एम० महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए कोई प्रावधान करेगी अथवा सैंट्रल गवर्नमैंट से सिफारिश करके इस रोड को बनवाने का काम करेंगे ?

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, माथना साहब ने खरखौदा झज्जर रोड की बात बताई है और जौहड तथा वाटर वर्क्स की ओर भी इंगित किया है। यह प्रश्न फोरलेन से सम्बन्धित है वे इस बारे में लिख कर दे दें हम इस बारे में जानकारी ले लेंगे और जो भी उपयुक्त उपाय हो सकेगा वह हम करेंगे। दूसरे 1040 लाख रुपये का ऐस्टिमेट स्वीकृत हो गया है। इस रोड की लम्बाई 24.50 किलो मीटर होगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण करने का ऐस्टिमेट सैंक्शन हो गया है। जैसे कि माननीय साथी ने कहा है कि रोड पर व्हीकल्ज की डैन्सिटी बहुत ज्यादा है प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव बनाए हुए है ताकि इस प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसे प्रायोरिटी पर रखा जाए।

Shortage of Teachers

***1795. Shri Ramesh Kumar Khatak** : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether it is a fact that there is a shortage of teachers in GPS/GMS/ GHS/GSSS in the State at present if so, the steps taken or proposed to be taken to remove the said shortage of teachers ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : हां, श्रीमान् रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । सभी रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। जहां तक नई रिक्तियों का सम्बन्ध है, मांग पत्र शीघ्र ही भेजा जायेगा। बाकी बची रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति द्वारा भरने के कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रमेश कुमार खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्ज़ कितने कितने हैं, कितनी वहां पर वैकेन्सीज़ हैं और उनको कब तक भर दिया जाएगा ?

चौधरी बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा में टोटल 8787 प्राइमरी स्कूल काम कर रहे हैं। इनमें 4321 जे०बी०टी० के पद खाली हैं। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3606 जे०बी०टी० के पदों को भरने के लिए विज्ञापन दे दिया गया था और यह 3606 रिक्तियां भरने के बाद सेवानिवृती, पदोन्नति और मरणोपरान्त जो रिक्तियां हुई हैं उन रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को मामला भेजा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में मिडिल स्कूल्ज़ 1352 हैं, उच्च स्कूल्ज़ 1785 और सीनियर सैकेन्डरी स्कूल्ज़ 1038 हैं। ये सभी मिला कर 4175 बनते हैं। इन स्कूलों में 160 प्रिंसीपल्ज़, हैडमास्टर 220, लैक्चरार्ज 1345, मास्टर्ज 3802 और सी०एच०बी० 1691 वैकेन्सिज हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 150 प्रिंसीपल्ज़, 600 मुख्यअध्यापक, 811 लैक्चरार्ज और गणित और विज्ञान के 96 अध्यापकों को प्रमोट किया है। इसके अलावा बाकी रिक्त वैकेन्सिज को भरने के लिए हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक ज्ञापन भेज दिया है कि 30 प्रिंसीपल्ज़, 118 मुख्यअध्यापक, 298 लैक्चरार्ज, 1745 मास्टर्ज और 1550 सी०एच०बीज़ के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्दी से जल्दी एडवरटाईज करके भरने की कोशिश की जाए। बाकी वैकेन्सीज़ जो हैं उनको हम परमोशन के द्वारा भरेंगे। इसके लिए हमने उनकी ए०सी०आर्ज० और दूसरे डाकुमैंटस मंगवा लिए हैं ताकि जल्दी से जल्दी खाली पदों को परमोशन करके भी भर दिया जाए। इसके अलावा जितने भी जे०बी०टी० और सीनियर सैकेन्डरी के रिक्त पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास किया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए चौधरी देवी लाल जी के कहे हुए वाक्यों को दृष्टिगत रखकर के कि "वे एक व्यवस्था में सुधार करवाना चाहते थे" उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण आंचल में भारत सरकार के नियन्त्रण में निर्धारित किया गया था कि गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी दिया जाएगा और अब उसको बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है और शहरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी दिया जा रहा है। इसी तरह से बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात आती है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है मैं इन सबको उसके साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि आज ग्रामीण आंचल में कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। आज लोग गलत आंकड़े दिखा कर शहरों में ही सरप्लस पोस्टों पर बैठे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि ग्रामीण आंचल में कोई जाने को तैयार नहीं होता है क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर अलग से कोई फायदा या ग्रामीण भत्ते वगैरह देने पर सरकार विचार करेगी ताकि वहां पर सभी रिक्त पदों को भरा जा सके। वैसे आज जो भी नई भर्तियां की जा रही हैं तो उन नए डाक्टरों को और दूसरे कर्मचारियों को पहले गांवों में भेजा जा रहा है।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो रूरल कालेज हैं वहां पर बहुत कम वैकेन्सीज हैं। अब हमारी सरकार ने यह कर दिया है कि कालेजों में जो भी नई भर्ती होगी, उस नए आदमी को कम से कम तीन साल देहात में काम करना पड़ेगा और स्कूलों में जो भी नई भर्ती होगी, उस नए आदमी को कम से कम पांच साल देहात में काम करना पड़ेगा। उसके बाद उनको वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से सरकार की पूरी कोशिश है कि देहात और शहरों में सारी वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए ताकि विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे हरियाणा सरकार की अप्वायंटमैंटस का भांभला आया।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप क्वैश्चन पूछें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष : अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। कादियान साहब, आप बैठें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठिए। मैंने तो आपको बुद्धिमान समझकर क्वैश्चन पूछने का मौका दिया था।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप बैठिए। इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विघ्न) यह कोई स्टेज नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, अभी क्वैश्चन ऑवर चल रहा है लेकिन ये किस तरह से बोल रहे हैं आप इनको बिठाइये।

Construction of Appraoch Roads and Purchase Centres

***1800. Shri Shashi Parmar :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following approach road of Mundhal Constituency :—

(i) Village Rewari Khera to Chang ;

(ii) Bambla to Malkosh;

(iii) Baund to Firni Unn road to Dadri road;

(iv) Baund to Ranila;

(v) Ranila to Unn;

(vi) Bapora to Prem Nagar; and

(vii) Bhiwani to Phoolpura;

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Shashi Parmar]

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct pucca kharanja and boundry wall of purchase centres of Dhanana, Chang and Baund villages; if so, the time by which these are likely to be constructed ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Tigrana to Mandhana Road ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

"सूचना"

(क) इस समय, केवल क्रमांक i, ii, iv, v, व vi पर वर्णित सड़कों का निर्माण सरकार के विचारधीन है।

(ख) हां, श्रीमान् जी। खरीद केन्द्र धनाना, चांग एवं बौंद गावों में पक्का खड़ञ्जा निर्मित करने का प्रस्ताव है। खरीद केन्द्र धनाना का निर्माण 30-6-2004 तक पूरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत चांग द्वारा दी गई भूमि काफी नीची है और उपयुक्त नहीं है, जिसके बदले में भूमि दी जानी है। आगामी कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाये जाने/अर्जित किये जाने के बाद की जाएगी। बौंद में ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायत को अपनी 45 कमाल 4 मरले शामलात भूमि मार्किट रेट पर मार्किटिंग बोर्ड को बेचने की स्वीकृति प्रदान की है। मार्किट कमेटी, बरखी-दादरी ने दिनांक 11-3-2004 को प्रस्ताव पारित किया है कि दी गई भूमि खरीद केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अस्वीकृत की जाती है। इसलिए, चांग व बौंद में पक्का खड़ञ्जा लगाने बारे कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती । जहां तक चार-दीवारी बनाने का संबंध है, खरीद केन्द्रों में नीति के अनुसार चारदीवारी नहीं बनाई जाती ।

(ग) आवश्यक मरम्मत का कार्य किया जा चुका है और अब सड़क यातायात योग्य है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Opening of Government High School in Kaithal

*1791. **Shri Lila Ram** : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government High School in Model Town, G.T. Road, Kaithal ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी नहीं ।

Propagation and Promotion of Vedic Culture.

*1798. **Shri Rajinder Singh Bisla** : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to propagate and promote the Vedic Culture in the state, if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं श्रीमान जी ।

Augmentation of Drinking water

*1807. **Dr. Malik Chand Gambhir** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Villages which were proposed to be augmented with drinking water during the year 2003-2004 alongwith actual achievement made in this regard ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान् जी, वर्ष 2003-2004 के दौरान 470 गांवों में पेयजल बढ़ौतरी का प्रस्ताव था तथा वास्तविक उपलब्धि 557 है।

Accelerated Urban Water Supply Programme

*1810. **Prof. Ram Bhagat** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Towns sanctioned by Government of India from March, 2000 till-date under the Accelerated Urban Water Supply Programme alongwith the total estimated cost of the projects ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान् जी, मार्च 2000 से अब तक हरियाणा सरकार द्वारा भेजे गए 20 शहरों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए। स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की कुल अनुमानित लागत 49.51 करोड़ रुपये है।

Regularization of Colonies in Karnal

*1799. **Shri Jai Parkash Gupta** : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the un-authorised Colonies in Karnal where more than 50% facilities such as road sewerage etc. has been provided ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Colonies are likely to be regularized.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हाँ,श्रीमान् जी,

(ख) इस समय समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

Construction of Road from Dighal to Kalavar

***1811. Shri Raghuvir Singh Kadian** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Dighal to Kalavar in Beri Constituency ; if so, the time by which it is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : डीघल से कलावड़ सड़क पहले ही बनी हुई है।

Providing of Desks in Primary Schools

***1815. Shri Bhagi Ram** : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide desks for sitting of the children in all the Primary schools of the State ; and

(b) the total number of such schools in which the desks have been provided till to-date together with the time by which the desks will be provided in the remaining schools ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी हां,

(क) राज्य की प्राथमिक पाठशालाओं में 27.69 करोड़ की राशि खर्च करके 5,24,174 डयूल डैस्क वितरित किए गए हैं।

(ख) जिन स्कूलों में ये डयूल डैस्क वितरित किए गए हैं उनकी संख्या 8569 है। शेष पाठशालाओं में भी शीघ्र ही डयूल डैस्क वितरित कर दिए जाएंगे।

Fourth Phase of Sarkar Apke Dwar Programme

***1813. Smt. Vidya Beniwal** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Assembly Constituencies in which programme has been organized under the fourth phase of 'Sarkar Apke Dwar' programme togetherwith the time by which the such programme is likely to be organized in the remaining Assembly Constituencies ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का चतुर्थ चरण 2 अक्तूबर 2003 से आरम्भ किया गया। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का आयोजन अब तक 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया जा चुका है। शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी ऐसा कार्यक्रम शीघ्र ही आयोजित करने की संभावना है यद्यपि इस स्तर पर कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

Repair of Roads

***1812. Shri Jitender Singh Malik** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in Kailana Constituency :—

(i) from Agwanpur to Purkhas ; and

(ii) from Moi to Bajana Khurd ; and

(b) if so, the time by which the repair work of said roads is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) (i) और (ii) हां, श्रीमान् जी।

(ख) इन सड़कों की मरम्मत चालू वित्त वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है।

Regularization of Colonies

***1783. Capt Ajay Singh Yadav :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the colonies within the limit of Municipal Committees in the State where more than 80% construction work has been completed, if so, the details thereof ; and

(b) whether any case for regularization of colonies pending with the Urban Development Department at present ; if so, the Municipal Committee/Corporation-wise number thereof ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी,

(ख) हाँ, श्रीमान् जी, पालिका वार कालोनियां निम्न प्रकार से हैं : —

कालका (11), पिन्जौर (09), अम्बाला शहर (44), अम्बाला सदर (45), यमुनानगर (15), जगाधरी (49), थानेसर (15), शाहाबाद (22), लाडवा (06), पेहवा (12), करनाल (26), तरावड़ी (12), घरौण्डा (19), असन्ध (13), नीलोखेड़ी (04), इन्द्री (06), समालखा (10), रोहतक (70), कलानौर (16), बहादुरगढ़ (62), पलवल (39), होडल (07), गुड़गांव (03), फिरोजपुर झिरका (12). नूंह (04) सोहना (20), पटौदी (08), तावडू (14), रिवाड़ी (17), बावल (08), भिवानी (41), चरखीदादरी (16), बवानीखेड़ा (09), सिवानी (08), हिसार (35), हांसी (28), बरवाला (05), नारनौंद (08) फतेहाबाद (33), टोहाना (24), रतिया (07), सिरसा (26), मण्डी डबवाली (07), रानिया (02), ऐलनाबाद (03), जीन्द (14), नरवाना (29), सफीदों (07), कैथल (41), चीका (12), कलायत (01), सोनीपत (69), गोहाना (18), गन्नौर (09), एवं खरखौदा (07);

Releasing of Electricity Connections to Tubewells

***1784. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of applications of those farmers who have deposited the security for electricity connections to tubewells are lying pending in the State at present; togetherwith the time by which the electricity connections to tubewells are likely to be released to the said applicants ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य में दिनांक 31-5-2004 के अन्त तक 54,433 आवेदन लंबित पड़े थे। नलकूपों को कनैक्शन स्वीकृत राशि 20,000 रुपए तथा प्रति स्पैन 7,000 रुपए जमा करने पर जारी किए जाते हैं । वर्ष 2003-04 के दौरान 15,148 कनैक्शन जारी किए गए थे। पूर्ण धन राशि की प्राप्ति तथा कनैक्शन जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। मई 2004 के अन्त तक 5,092 आवेदन पत्र लंबित थे जिन्होंने पूर्ण धन राशि जमा कर दी थी। इन आवेदकों को 31 अक्तूबर, 2004 तक कनैक्शन जारी किए जाने की संभावना है। परिपालना न करने वाले आवेदकों को 31-8-2004 तक धन राशि जमा कराने के अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक अन्य अवसर प्रदान किया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अल्पअवधि चर्चा/स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने एक अपना कालिंग अटेंशन मोशन आपकी सेवा में दिया था उसका क्या हुआ? मेरा यह कालिंग अटेंशन मोशन पूरे हरियाणा में और खासकर फरीदाबाद में बिजली और पानी की दिक्कत के बारे में था। बिजली न होने की वजह से न तो शहरों में पानी आता है और न ही गांवों में पानी आता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मोशन को टेकअप कर लें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपका यह मोशन डिसअलाऊ कर दिया है इसलिए अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब की अब कोई बात रिकार्ड न करें क्योंकि अब ये बिना परमिशन के बोल रहे हैं। दलाल साहब, आप बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हमने बहुत सारे एडजर्नमैन्ट मोशंज आपको दिए हुए हैं, which are regarding completion of SYL Canal, bungling, malpractices and tampering in the selection of JBT teachers, law and order situation in the State, short duration discussion regarding appointment of V.C., M.D.U. and interference into the working of the autonomous body of M.D.U. by the State Government. आप इनके बारे में बता दें। इसके अलावा हमने एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में भी अपना एक रैजोल्यूशन दिया हुआ है उसका क्या हुआ ? इसके अलावा हमने आपकी सेवा

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

में कई कालिंग अंटेशन मोशंज भी दिए हैं आप उनके बारे में भी बता दें, which are regarding registration of false cases and atrocities being committed on the journalists, setting up of University in the Backward area of Southern Haryana, irregular supply of electricity in the State and regarding increase of high level pollution in Faridabad and Gurgaon. आपके खुद के गांव में पोल्यूशन की वजह से लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं तो जो हमारा पोल्यूशन के बारे में कालिंग अटेंशन मोशन है उसके बारे में भी आप बताएं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप मेरे गांव की चिंता न करें आप अपने गांव की चिंता करें। मेरे गांव में सब ठीक-ठाक हैं। अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा एक निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए। मैं आप सभी के एडजर्नमैन्ट मोशंज और कालिंग अंटेशन मोशंज का फेट बता देता हूं। Calling Attention Notice No. 2 received from Capt. Ajay singh Yadav, regarding increase in the cases of Cancer in the State has been admitted for today. Calling Attention Notice No. 4 received from Capt. Ajay Singh Yadav and two other MLAs regarding harassment, false cases being registered and atrocities being committed on the journalists has been disallowed, Calling Attention Notice No.3 received from Capt. Ajay Singh Yadav, regarding high level pollution in Faridabad and Gurgaon Cities has been disallowed. Calling Attention Notice No. 5 recieved from Capt. Ajay Singh Yadav and Shri Dharambir Singh, MLAs regarding setting up of University in the backward area of southern Haryana has been disallowed. Calling Attention Notice No. 6 received from Capt. Ajay Singh Yadav regarding irregular supply of electricity in the State has been disallowed. Notice of Adjournment motion (No.1) received from Capt. Ajay Singh Yadav regarding law and order situation in the State has been disallowed. Notice of Adjournment motion (No.2) received from Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other MLAs regarding malpractices, tampering and bungling in the selection of JBT teachers has been disallowed and Notice of Adjournment motion (No. 3) received from Capt. Ajay Singh Yadav and 10 other MLAs regarding early completion of SYL Canal has been disallowed. Notice of Short duration discussion received from Capt. Ajay Singh Yadav and 10 other MLAs under rule 73-A regarding interference of State Government on the appointment of V.C., M.D.U., Rohtak, has been sent to the Government for comments. Calling Attention Notice (No. 7) received from Rao Dharampal and Rao Narender Singh M.L.As regarding setting up of University in the backward area of southern Haryana, has been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, हमारा एस०वाई०एल० के बारे में ऐडजर्नमैंट मोशन भी था।

श्री अध्यक्ष : कृप्या आप बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो० संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस०वाई०एल० का सवाल है, उस पर गवर्नमैंट भी रिजौल्यूशन लेकर आ रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने भी रिजोल्यूशन दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : उसका नोटिस पन्द्रह दिन पहले देना होता है। आपको तो यह भी पता नहीं कि नोटिस कब देना होता है। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करो। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। हाउस शुरू हो चुका है ऐडजर्न कहां होगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने हाउस शुरू होने से एक घंटा पहले नोटिस दिया है।

वित्त मंत्री (प्रो० संपत सिंह): अध्यक्ष महोदय, हाउस में नियम और कायदे बने हुए हैं हर नोटिस और मोशन के बारे में पहले से तय है कि वह कितने दिन पहले देना होता है। इस नोटिस के बारे में यह है कि 15 दिन का नोटिस चाहिए। जहां तक विधान सभा का सैशन काल करने की बात है, उस बारे में भी मैंबर नहीं कह सकते कि हमें नोटिस देने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आपने इनफ टाइम दिया है। उसके बावजूद मैंबर्स की सीरियसनैस नजर आ रही है। पन्द्रह दिन का समय मिलने के बावजूद भी नोटिस नहीं दे पा रहे हैं। सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आ रही है उस प्रस्ताव के बाद कुछ कहना हो तो देख लेना ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में कैंसर के मामलों में अचानक वृद्धि संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Capt. Ajay Singh Yadav, regarding sudden increase in the cases of Cancer in the State. I admit it. Capt. Ajay Singh Yadav may read out his notice.

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं इस महान् सदन का ध्यान राज्य में कैंसर के मामलों में अचानक बढ़ोतरी सम्बन्धी एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं । जिला मुख्यालयों पर किसी उपचार सुविधा की कमी से प्रारम्भिक अवस्था में इस बीमारी का पता लगाना असंभव हो जाता है जिसका उस समय उपचार किया जा सके । अन्य पहलू यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अत्यधिक प्रभावित हैं तथा उपचार का खर्च बहुत ज्यादा है।

इसलिए मैंने सरकार से निवेदन किया है कि सदन के पटल पर एक वक्तव्य देते हुए बताएं कि इस घातक बीमारी के उपचार के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for health will make a Statement.

वक्तव्य-

स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री एम०एल० रंगा) : कैंसर की बीमारी सारे संसार में पाई जाती है और भारतीय काऊंसिल आफ मैडिकल रिसर्च (ICMR) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक हजार में से सात व्यक्ति कैंसर की बीमारी से पीड़ित पाये जाते हैं। इन पीड़ित व्यक्तियों में से

दो तिहाई मरीज बीमारी के अन्तिम चरण में चिकित्सा संस्थाओं में ईलाज के लिए पहुंचते हैं तथा शेष एक तिहाई मरीजों का बीमारी के प्रारम्भिक चरण में पता चलता है तथा प्रारम्भिक चरण में इसका ईलाज होने से किसी हद तक इससे होने वाली मृत्यु (mortality) तथा विकृतता (morbidity) को रोका जा सकता है। यह बीमारी शरीर के किसी भी अंग को ग्रस्त कर सकती है।

इस बीमारी के लगने के कोई विशेष कारण नहीं हैं तथापि इस घातक बीमारी के कुछ ऐसे कारण हैं जो इस बीमारी के होने में कुछ हद तक सहायता करते हैं जैसे तम्बाकू का प्रयोग, गुटखा खाना, धुम्रपान करना, कृषि उत्पादन में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग तथा वातावरण प्रदूषण इत्यादि। यद्यपि यह कारण मामूली है, परन्तु इन से बचा जा सकता है।

उक्त कारणों के दृष्टिगत, जो यद्यपि मामूली हैं, परन्तु जिनके परिणाम घातक हैं, सरकार ने राज्य में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :--

1. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा गुटखा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
2. कोई भी मरीज किसी भी स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सा सम्बंधी शिकायत से आता है और अगर वह कैंसर से सम्बंधित है, तो उसे भली प्रकार देखा जाता है तथा आवश्यक हो तो उन्हें बड़े चिकित्सा संस्थाओं में जांच व ईलाज के लिए रैफर किया जाता है।
3. पैप स्मियर की जांच बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। यह जांच महिलाओं में सरवाईकल अर्थात बच्चे दानी के कैंसर का पता लगाने के लिए होती है। इस जांच से कैंसर का पता शीघ्र लग जाता है तथा जल्द ही ईलाज शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार का कैंसर महिलाओं के प्रजनन आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है।
4. कैंसर का जल्दी पता लगाने हेतु सामान्य अस्पताल, पंचकूला में आनकोलोजी विभाग की स्थापना की जा चुकी है तथा शीघ्र ही यह कार्य करना शुरू कर देगी।
5. वर्ष 2002 में राज्य में 18,676 कैंसर के रोगी पाये गये थे तथा वर्ष 2003 में 14,472 रोगी इस बीमारी के पाये गए।
6. सरकार ने लगभग 55 लाख रुपये कैंसर रोगियों की जांच तथा ईलाज हेतु सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किये हैं।
7. वर्ष 2003 में मैडिकल कालेज, रोहतक ने कैंसर की जानकारी देने तथा रोगियों का पता लगाने के लिए डीघल, बेरी तथा चिड़ी गांव में कैंप लगाए जिसमें 6,025 व्यक्तियों की इस बीमारी के लिए जांच की गई जिसमें 32 मरीज इस बीमारी के रोग से पीड़ित पाए गए।
8. इस बीमारी के लिए जनता में जागरूकता उत्पन्न करने तथा शिक्षित करने हेतु विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया।

[श्री एम०एल० रंगा]

9. सामान्य अस्पताल, भिवानी में कोबाल्ट थैरेपी यूनिट की स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसमें कैंसर के रोगियों का ईलाज किया जा सकेगा।

10. पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक में कैंसर का पता लगाने व इस बीमारी के ईलाज की सुविधाएं वहां पर स्थित आन्कोलोजी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा राज्य की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा रेफर किये गये मरीजों को वहां सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं

11. क्षेत्रीय कैंसर सोसाइटी, पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक के शल्य चिकित्सा ऑनकोलोजी विभाग ने दिनांक 14-10-2002 से अस्पताल में आने वाले कैंसर के मरीजों का पंजीकरण आरम्भ किया है।

12. कैंसर से पीड़ित रोगियों की समुचित रोग निदान (diagnosis) तथा देखभाल के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैडिकल कॉलेज, रोहतक में रेडियों जांच तथा एम०आर०आई० व सी०टी० स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।

13. कैंसर के रोगियों के लिए सी०टी० स्कैन की सुविधा राज्य के सामान्य अस्पतालों, पंचकूला व सिरसा में भी उपलब्ध है।

14. भारत सरकार से प्राप्त 55 लाख रुपये की अनुदान राशि को मैडिकल कॉलेज, रोहतक में 2002 तथा दिसम्बर 2003 तक आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए खर्च किया गया है। राज्य सरकार ने केवल स्वास्थ्य बजट में से उक्त राशि कैंसर के रोगियों की पहचान तथा उपचार हेतु उपयोग की है।

15. सरकार ने कैंसर नियंत्रण के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु भेजा है। इसके साथ-साथ राज्य के बड़े अस्पतालों में एक ऑनकोलोजी विंग दो चरणों में स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु भी प्रस्ताव भेजा है। पहले चरण में 200 बिस्तर तथा इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों को लिया जाएगा तथा दूसरे चरण में अन्य जिला स्तरीय अस्पतालों को लिया जाएगा।

इसके इलावा जो हमारे जिला स्तर के अस्पताल हैं वहां पर भी कैंसर के जांच की व्यवस्था है। इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर होती है। पूरे हिन्दुस्तान में पहले 16 रीजनल कैंसर जांच केन्द्र थे अब 17वां हरियाणा प्रदेश में स्थापित किया जा चुका है जिस पर 3-4 करोड़ रुपये की लागत के इक्विपमैंट खरीदे गये हैं जोकि मैडिकल कालेज रोहतक में लगाये जा रहे हैं । हमने सैमिनार आयोजित करके स्कूल के टीचर्ज को, कॉलेज के प्राध्यापकों को इसके लिए जागरुकता लाने का काम किया है ताकि कैंसर से पीड़ित रोगियों की प्रारम्भिक जांच की जा सके और कैंसर का इलाज किया जा सके। सवाल के दूसरे पार्ट में माननीय सदस्य ने पूछा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए सरकार ने इस इलाज के लिए कौन सी सुविधा देने की व्यवस्था की है इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कैंसर के लिए तीन प्रकार के इलाज किए जाते हैं पहला रेडियोथिरैपी द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके इलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा मुफ्त दी जा रही है। इस

विषय में मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले तीन सालों में कैंसर से पीड़ित 27 हजार मरीजों का रेडियोथिरैपी का मुफ्त इलाज मैडिकल कालेज रोहतक में किया है। इसके इलावा दूसरी प्रकार का इलाज सर्जरी के द्वारा किया जाता है। 291 मरीजों का सर्जरी का मुफ्त ईलाज इन तीन सालों के दौरान किया गया है। इसके इलावा जो कैमोथ्रेपी है उसका इलाज मंहगा होने के बावजूद भी 70 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों का ईलाज हमने मुफ्त किया है और जो 30 प्रतिशत बाकी रह जाते हैं उनको भी हम सस्ते इलाज का रास्ता बताते हैं। हमारे एन०जी०ओज० ने हमें एक सूची दी है। हमने उन बाकी बचे मरीजों को जानकारी दी है उनको रास्ता बताया है कि आपको कहां से आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकती है और वहां से आर्थिक सहायता लेकर उन्होंने इलाज करवाया है। इसके अलावा हमारे 11.00 बजे | राज्य में कैंसर के निदान के लिए जो नई मशीनें आई हैं उनके बारे में भी मैं सदन के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में केवल तीन जगहों पर कैप्सूल इन्डोसकॉपी मशीन है और उन तीन जगहों में से एक जगह हरियाणा में मैडीकल कॉलेज, रोहतक में यह कैप्सूल इन्डोसकॉपी मशीन लगाई गई है जो कि न आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मैडीकल साईंस में है, न पी०जी०आई० में है और न पूरे उत्तरी भारत में किसी सरकारी अस्पताल में है, केवल मात्र 2-3 प्राइवेट अस्पतालों में यह मशीन है। रेडियों थैरेपी के साथ साथ कोबाल्ट थैरेपी यूनिट शुरू की गई है, मैडिकल कॉलेज, रोहतक में पहली बार कोबाल्ट थैरेपी की 60 मशीनें आई हैं जिनके ऊपर 2 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होगा। हाई डोज रेट जो मशीन है जिसे ब्रांस थैरेपी मशीन बोलते हैं, के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपये की लागत पर उसके परचेज आर्डर्ज दिए जा चुके हैं। वह भी मैडिकल कॉलेज में जल्दी आ जाएगी। पूरे वर्ल्ड में जो लेटैस्ट मशीन है जिसको लीनियर एक्सीलेटर मशीन बोलते हैं उसके भी परचेज आर्डर्ज दे दिए गए हैं, वह भी मैडिकल कॉलेज में आ जाएगी। यह सब होने से कैंसर के जो मरीज हैं उनका इलाज सम्भव होगा और उनका निदान किया जा सकेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक तो इन्होंने अपने जवाब में डाटा सैवन परसैंट आउट आफ वन थाउजैंड दिया है यानि 7 परसैंट का डाटा दिया है तो हरियाणा में 2 करोड़ के हिसाब से 14 हजार कैंसर के मरीज होने चाहिएं लेकिन इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वे हैं 18,676 इसका मतलब 4000 मरीज ज्यादा हैं। इसका मतलब 7 परसैंट नहीं बल्कि 7 परसैंट से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं और इस साल यानि प्रैजैंट इयर में अब तक 14,472 मरीज आ चुके हैं It means it is not 7% it is more and every year it is increasing.जिस प्रकार की फैसिलीटीज शहरों में कैंसर के मरीजों को दी जा रही हैं, पूरे हरियाणा के क्षेत्रों से खास तौर से रूरल एरिया के लोग केवल रोहतक ही एक जगह है जहां वे जा सकते हैं जैसा कि आपने कहा कि मरीजों को फ्री सुविधाएं देते हैं तो उसके लिए भी तारीख लेने में तीन तीन महीने लग जाते हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2020 तक पूरे देश में कैंसर के मरीज जितने अब हैं उससे दुगने हो जाएंगें। इतनी भारी मात्रा में कैंसर के मरीज हो जाएंगें तो कम से कम डिस्ट्रिस्ट हैड क्वाटर पर अर्ली डिटैक्शन के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जाने चाहिएं। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अर्ली डिटैक्शन के लिए कम से कम एक डाक्टर होना चाहिए और जिला वाइज हर महीने अर्ली डिटैक्शन के लिए एक कैम्प होना चाहिए।

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने जो 1000 में 7 की बात की है तो मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि इंडियन मैडीकल कॉलेज आफ रिसर्च की रिपोर्ट

[डा०एम०एल०खंगा]

के बेस पर पूरे हिन्दुस्तान में 1000 में 7 कैंसर के मरीज हैं। दूसरा जिला स्तर पर जो पूछा गया है तो मैंने अपने जवाब में कहा है कि जिला स्तर पर पैप-स्मियर की जांच उपलब्ध है। हमारी हर जिले में 500-700 ओ०पी०डी० आती हैं लेकिन उसमें जो सस्पैक्टिड केसिज हैं उन्हीं को रैफर किया जाता है। 500-700 केस रैफर नहीं किए जाते । इससे सिद्ध होता है कि प्रिलिमिनरी जांच करके फिर केस आगे रैफर करते हैं। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि यह सुविधा केवल मात्र रोहतक में है और अन्य जगहों के लिए क्या किया जा रहा है ? तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमने भारत सरकार को भिवानी के लिए प्रस्ताव भेजा था, हमारी कोबाल्ट थैरेपी का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, निर्माण कार्य जारी है और अब वहां भी कैंसर का इलाज होगा। मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया कि पंचकूला में ऑकोलोजी यूनिट बन रही है वह इस साल के अन्त तक बन कर तैयार हो जाएगी तो इस एरिया के लोगों को पंचकूला में आकर ये सुविधा मिला करेगी । सम्मानित साथी ने यह भी पूछा है कि रूरल एरिया के लिए कैंसर के मरीज की डिटैक्शन के लिए क्या किया जा रहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 4 सालों में 400 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं जिनमें 100 के करीब मेजर हैल्थ कैम्प लगाए गए हैं उनमें हमने कैंसर की स्पैशल टीम बुलाकर खासकर रूरल एरिया में जहां कैम्प लगे हैं, भेजी है और उस टीम ने वहां कैंसर की जांच का काम किया है। मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि आगे से हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा तो वहां पर कैंसर की जांच के लिए पूरी यूनिट को वहां ले जाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां रूरल एरियाज में जो प्राइवेट संस्थाएं खुली हुई हैं उन्हें सैंट्रल गवर्नमैंट की ओर से पैसा दिया जाता है जो बहुत महंगी मशीनें लगाकर कैंसर का इलाज करती हैं । क्या हमारी सरकार की तरफ से भी ऐसी संस्थाओं को पैसा देने लिए बजट में प्रावधान किया गया है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो बिलो पावर्टी लाईन के बारे में मन्त्री जी ने जिक्र किया है और 29 हजार के करीब आंकडे भी दिए हैं। राजस्थान में राजस्थान सरकार ने यह कर रखा है कि बिलो पावर्टी लाईन के लोगों के इलाज का पूरा खर्चा केवल कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियां जैसे टी०बी०, हार्ट की बीमारी और इस तरह की दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी राजस्थान सरकार खर्चा वहन करती है, क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारी सरकार के विचाराधीन है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कैंसर के मरीज हैं वे वेट नहीं कर सकते । वे इतने ज्यादा सफरिंग होते हैं कि वे लम्बी-लम्बी लाईनों में खड़े नहीं रह सकते । उनको सेक लगवाने में बहुत समय लग जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मशीनें दो-तीन जगह और लगनी चाहिएं। इन्होंने कहा है कि फरीदाबाद में 200 बैड अस्पताल का केस बनाकर सैंट्रल गवर्नमैंट के पास भेजा हुआ है। क्या इसके लिए सैंट्रल के हैल्थ मिनिस्टर से ये मिले हैं ? इस बारे में मैं ठोस जवाब चाहूंगा और दो-तीन हस्पताल इस तरह के और खुलने चाहिएं ताकि जो कैंसर के मरीज हैं उनको आराम मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि 7 प्रतिशत से ज्यादा यानि नैशनल लैवल का

जो फिगर है उससे ज्यादा फिगर हरियाणा का बढ़ रहा है तो उसके काजिज का पता लगाना चाहिए कि यह कैमीकल्ज की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है? इसकी रिसर्च आपने करवाई या नहीं करवाई इसके बारे में भी मंत्री जी बतायें।

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो सम्मानित सदन के साथी का यह था कि जो प्राईवेट संस्थाएं कैंसर का इलाज कर रही हैं सरकार उनके विषय में क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग गरीबी रेखाओं से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वे लोग तो हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। दूसरे जिन लोगों के पास पैसा है, समृद्ध हैं वे लोग प्राईवेट संस्थाओं में इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन जिन्होंने प्राईवेट संस्थाएं खोल रखी हैं सरकार उनको किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करती है। हमारे जिले रिवाड़ी में निरपुर गांव है जो मेरे आदरणीय साथी के इलके में पड़ता है। वहां डा० यादव ने अस्पताल खोला हुआ है। वे पिछली बार आये थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे और बात की तुरन्त उनके यहां ए०एन०एम० ट्रेनिंग सैंटर/स्टाफ नर्स ट्रेनिंग सैंटर खोलने की परमिशन दी जाये । इससे उनको सहायता भी मिलेगी और बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। हमने उसको मंजूरी तुरन्त दी है। इस प्रकार से इन-डायरेक्ट रूप से इस तरह की संस्थाओं की हम मदद करते रहते हैं। दूसरा हमारे पास उनकी सूचि भी है जो हमारे एन०जी०ओज० जो सहायता करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, आर्थिक अनुदान देते हैं । हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी ये संस्थाएं पैसे ले लें। इस तरह से हम उनकी सेवा करते हैं।

श्रीमती अनीता यादव : * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, प्लीज आप बैठें। आप बिना परमिशन के बोल रही है इसलिए आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। आप पहले ही दो सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं। रंगा साहब, आप यह बतायें कि कैंसर के लक्षण क्या हैं ?

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दो तिहाई लोगों को तो लास्ट स्टेज पर जाकर कैंसर की बीमारी का पता चलता है और एक तिहाई लोगों को जांच करवाने पर प्रथम स्टेज पर पता चलता है। अर्ली स्टेज पर तभी पता चलता है जब जांच करवाते हैं इसके लक्षण बुखार का बढ़ना, कम भूख लगना, शरीर में ढीलापन आना आदि हैं। इस तरह के लक्षण यदि पाये जायें तो तुरन्त जांच करवा लेनी चाहिए। इस तरह की जांच हमारे जिला स्तर के अस्पतालों में की जाती है और उस जांच को पैपस्मियर जांच बोलते हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairpersons :—

1. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.
2. Shri Rajinder Singh, Bisla M.L.A.
3. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
4. Smt. Veena Chhibbar, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker .	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.	Member
3.	Smt. Veena Chhibbar, M.L.A.	Member
4.	Shri Jasbir Mallour, M.L.A.	Member
5.	Shri Jitender Singh Malik, M.L.A.	Member

(iii) सदस्यों के त्यागपत्र संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 58 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to inform you that Shri Kartar Singh Bhadana, M.L.A. has resigned his seat in the Haryana Legislative Assembly *vide* his letter dated 1st April, 2004 which was accepted by me on 2nd April, 2004.

Hon'ble Members, under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have also to inform you that Sarvshri Bhupender Singh Hooda, Jai Parkash Barwala and Rao Inderjit Singh M.LAs. have resigned their seats in the Haryana Legislative Assembly in their election to the Members of Parliament *vide* their Letters dated 21st May, 2004 which were accepted by me from the said date.

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now the Secretary will make announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 1989 तथा फरवरी, 2004 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/ राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

March Session, 1989

* The Haryana Urban Development Authority (Amendment)Bill, 1989.

February Session, 2004

1. The Punjab Passengers and Goods Taxations (Haryana Amendment) Bill, 2004.
2. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 2004
3. The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2004.
4. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2004.
5. The Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 2004.
6. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2004.
7. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2004.
8. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2004.
9. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2004.
10. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2004.
11. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2004.

बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 5.00 P.M. on Sunday, the 20th June, 2004 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

[Mr. Speaker]

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday, the 21st June, 2004 at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day without question being put.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 21st June, 2004 be transacted by the Sabha as follows :—

Monday, The 21st June, 2004

(9. 30 A.M.)

1. Obituary References
2. Question Hour.
3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
4. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
5. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*.
6. Papers to be Laid/relaid on the Table of the House.
7. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon.
8. Presentation, Discussion and Voting on the Excess Demands Over Grants and Appropriation for the year 2001-2002.
9. Official Resolution.
10. The Haryana Appropriation Bill, 2004 in respect of Excess Demands Over Grants and Appropriation for the year 2001-2002.
11. Legislative Business.
12. Any other Business".

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो हम मैम्बर्ज के कस्टोडियन हैं और यहां पर 86 मैम्बर्ज मौजूद हैं और आपने एक दिन का सैशन बुलाया है। सबसे प्रमुख बात एस०वाई०एल० की है और इस बात पर मैंने आपना डाईसैंटिंग नोट भी दिया था कि दो दिन की सिटिंग तो एस०वाई०एल० के मुद्दे के लिए होनी चाहिए। बाकायदा इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या कारण हैं कि यह मामला इतना डिले हुआ और इसके लिए कौन-कौन मैम्बर्ज जिम्मेदार हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। इस बारे में पहले ही काफी रैजोल्यूशन्ज आ चुके हैं जब तक इस सारे मैटर पर सभी मैम्बर्ज थ्रैडबेयर डिस्कशन न कर लें तब तक केवलमात्र एक रैजोल्यूशन पास करने से बात बनने वाली नहीं हैं। हमने कट मोशन दे रखे हैं, आप तीन बिल लेकर आ रहे हैं। मैंने पहले भी यह कहा था कि बिल्ज हमें कम से कम 5 दिन पहले सर्कुलेट होने चाहिएं। ये बिल्ज हमें कल शाम को मिले हैं और न तो इन बिल्ज को पढ़ सके हैं और न ही कोई बात कर पाए हैं इसलिए हमने यह मांग की थी कि आप दो-तीन दिन के लिए सैशन की अवधि बढ़ा दें ताकि मैम्बर्ज अपनी बात कह सकें। पिछले दिनों दिल्ली में प्रिजाईडिंग ऑफिसर्ज की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में बाकायदा यह माना गया था कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वहां पर साल में कम से कम 60 सिटिंग्ज होंगी और बिगर स्टेट्स में 90 सिटिंग्ज होंगी। यह कहना कि यह बिगर स्टेट नहीं है ठीक है लेकिन जो मैम्बर्ज पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे अपनी बात कह सकें। ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाकर जो यह एक दिन का सैशन बुलाया गया है यह * * * * * * * * * * है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पार्लियमैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बहुत ही पढ़े-लिखे हैं इन्हें थोड़ा-बहुत सोचना चाहिए था कि इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि केवल एक दिन का सैशन चला। जितने भी मैम्बर्ज हैं वे अपने हल्के की बात कहना चाहते हैं मैम्बर्ज के अपने-2 हल्के की समस्याएं हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है जिसके बारे में सब ने अपनी बात कहनी है, जे०बी०टी० टीचर्ज के बारे में इतना बड़ा स्कैम हो गया उसके बारे में लोगों ने अपनी बात कहनी थी, एम०डी० यूनिवर्सिटी में इन्टरफियरैंस के बारे में लोगों ने अपनी बात कहनी थी इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर लोगों ने अपनी बात रखनी थी (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, हम मैम्बर्ज के राईट को आपको प्रोटैक्ट करना चाहिए। हमने आपको यूनानिमसली चुनकर भेजा था और आपसे तवक्को है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा के अनुरूप काम करें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार से यह अनुरोध करें कि कम से कम एक हफ्ते का सैशन रखें। इसके साथ ही साथ प्रदेश में बिजली की समस्या है, इतने सारे मोशन्ज हैं, लॉ एण्ड आर्डर की बात है, एस०वाई०एल० के मुद्दे पर बहुत बड़ा डिस्कशन है, यह रैजोल्यूशन सरकार ला रही है, इस पर चर्चा हो जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारा जो ऐडजॉर्नमेंट मोशन है आप उसको ऐडमिट करें ताकि उस पर चर्चा हो सके। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी यह विनती है कि आप कम से कम एक हफ्ते का समय सैशन के लिए तय करें जिसमें कम से कम सात सिटिंगज़ रखी जाएं तभी कोई बात बनने वाली है। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने अपनी बात कह ली है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

डा० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, रूल 37 के तहत मैं अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं। आप यहां पर यह देखें कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद सैशन बुलाया है। (विघ्न एवं शोर) यहां पर थोरो डिस्कशन हो जाए तो इनको अपनी पार्टी की हार के कारणों का भी पता चल जाएगा (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है इसलिए सरकार को यहां पर थोरो डिस्कशन करनी चाहिए। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं इंगलिश की एक प्रोवर्ब यहां पर कहना चाहूंगा—

"Face the facts squarely, otherwise the facts will stab you in the back." (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : क्या आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ? (विघ्न एवं शोर) जनता के चुने हुए सभी साथी मेरे सामने यहां पर बैठे हुए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी साथी जनता के ही चुने हुए हैं। जब चुनाव होंगे तो जनता ही फैसला करेगी। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आप बैठें (विघ्न एवं शोर)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *** ***** ******

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। डॉक्टर साहब, आपने लिखित रूप में कुछ दिया नहीं है और आपको बोलने के लिए भी टाईम दे दिया है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है । * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप बैठें। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें। * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : राम किशन फौजी जी, आप बैठें। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक-आउट

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर बोलना चाहते हैं। आप अपनी सीट पर बैठें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सदन से वाक-आउट करेंगे। * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अभी छोटे पद पर हैं, अभी बड़े पद पर आसीन नहीं हुए हैं। आप जब बड़े पद पर आसीन होंगे तो ऐसी बात कहना । आपकी बात कोई नहीं मानता है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर) कादियान जी, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इनका भी कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * ।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * । (शोर)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। प्लीज आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जी बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेगें तो हम सदन से वाक-आउट करेंगे। * * * * ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * । (शोर)

श्री अध्यक्ष : ये बिना परमिशन के बोल रहे हैं, इनका कुछ भी रिकार्ड न करें। आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सदन से वाक-आउट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए । आपकी बात को कौन मानेगा । आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप अभी बहुत छोटे पद पर हैं। आप जब बड़े पद पर आसीन होंगे तब यह बात करना। (शोर एवं व्यवधान) आप छोटे मुंह बड़ी बात मत कहें। आपकी बात कोई नहीं मानेगा। (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप सैशन को एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं। आप हमारे कहने पर सैशन को एक हफ्ते का नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम इस ईशू पर वाक-आउट करते हैं। (शोर)

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान को छोड़कर इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य, आजाद उम्मीदवार श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री उदय भान, श्री जय प्रकाश गुप्ता, श्री दरियाव सिंह राजौरा और श्री देवराज दीवान और हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य श्री राम किशन फौजी सत्र की अवधि न बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से वाक-आउट कर गए।)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * । (शोर)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट एडाप्ट होने के बाद वाक-आउट किया है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सही है कि रिपोर्ट एडाप्ट होने के बाद इन्होंने वाक-आउट किया है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी आदत सी बन गई है। प्रैस की सुर्खियों में आने के लिए सदन से वाक-आउट करते हैं। जहां तक अधिवेशन की बात है कोई ऐसा बिजनैस नहीं है जिसके लिए इस अधिवेशन को बढ़ाया जाए। (विघ्न)

सदस्यों का नाम लेना

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठें। क्या आपने वाक-आउट नहीं किया है ? (विघ्न) बैठिए-बैठिए। आप अपनी सीट पर बैठें। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। आप अपनी सीट पर जाएं। **(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान बोलते-बोलते सदन की वैल में आ गए तथा बोलते रहे।)** कादियान जी, यह आपका तरीका ठीक नहीं है आप अपनी सीट पर जाएं। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप किस सब्जैक्ट पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपने वाक-आउट करा है कि नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था बनाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं यहां पर सबका ध्यान रखने के लिए बैठा हूं। आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं। आप अपनी सीट पर जाएं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको वार्न करता हूं कि आप सीट पर बैठें वरना मैं आपको नेम कर दूंगा । (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। आप व्यर्थ समय न गवाएं। आप अपनी सीट पर जाइये। यह इस तरह का बोलने का प्लेटफार्म नहीं है। आप अपनी सीट पर जाइये। इनकी कोई भी बात रिकार्ड न करें।

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप भाषण मत दें। आप अपनी सीट पर जाइये। I again warn you. बिजनैस एजवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडोप्ट हो चुकी है इसलिए अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, आपके बार-बार कहने पर भी ये हाउस की वैल में खड़े होकर बोल रहे हैं। इनका हाउस की वैल में आकर बोलने का क्या कोई तरीका है ? आप हाउस का डैकोरम बनाइये। हाउस का समय खराब हो रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठिए। आप हाउस का समय खराब कर रहे हैं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * *

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप हाउस का डैकोरम बनाइये । इस भी मैम्बर्ज हैं। ये किस तरह से बोल रहे हैं ?

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडाप्ट हो चुकी है इसलिए आप बैठें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * *

Mr. Speaker : Kadian Sahib, I name you. You please leave the House.

(At this stage, Dr. Raghubir Singh Kadian withdrew himself from the House.)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसे मैं कह रहा था कि जहां तक सवाल है बिजनैस का, बिजनैस कोई लम्बा चौड़ा नहीं था लेकिन हाउस इसलिए बुलाया गया क्योंकि पार्लियामैन्ट के चुनाव के बाद हमारी असैम्बली के विपक्ष के मैम्बर्ज बहुत ज्यादा उतावले हो गये थे। स्पीकर सर, यह पार्लियामैन्ट के चुनाव के लिए पब्लिक का वरडिक्ट था। पार्लियामैन्ट के चुनाव में जो वरडिक्ट आया उसमें किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है आप बैठिए । इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, that was the verdict for Parliament. असैम्बली के लिए वरडिक्ट जब आएगा तब आएगा लेकिन That was not a verdict for Assembly. पार्लियामैन्ट के चुनावों का फैसला आते ही इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह सरकार तो अब 15 दिन की है, दो दिन की है इसलिए स्पीकर सर, हाउस को बुलाया गया था ताकि ये सरकार के खिलाफ वोट ऑफ नो कांफिडैन्स ले आएं और देख लें कि इनमें कितना दम है । ये वैसे ही सरकार के आने जाने की बात करते रहते हैं। आने जाने की बात भाषण देने से नहीं होती है। इन्होंने भी यह देख लिया है। आपने देखा कि विपक्ष के मैंबर्ज किस तरीके से

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[प्रो० सम्पत सिंह]

बिहेव कर रहे थे और आपने जितनी नम्रता दिखाई उसका नाजायज फायदा उठाकर के दस मिनट हाउस के वेस्ट किए। इनका वाक-आउट केवल मात्र अखबारी खबर के लिए है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में अपनी बात कहने दें। ***

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh Yadav Ji, please take your seat, otherwise, I will have to name you.

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बगैर परमीशन के बोल रहे हैं आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। इसलिए आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप मुझे बोलने की इजाजत दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कोई टिप्पणी मत कीजिए । आप बैठ जाइए। मैं आपको वार्न करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं वरना आपको नेम कर दिया जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, क्या आप मुझे बोलने के लिए परमीशन नहीं देंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh Yadav I name you. You please leave the House.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

(At this Stage, Capt. Ajay Singh withdrew himself from the House.)

श्री अध्यक्ष : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े हुए है। उनकी बात पूरी हो जाने के बाद यदि कोई आवश्यकता हो तो बात कहनी चाहिए लेकिन आप लोग केवल सुर्खी में आने के लिए आते हैं। कर्ण सिंह दलाल आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर की बात तो सुन लें उसके बाद यदि कुछ बोलने की आवश्यकता रहती हो तो अपनी बात कहें। राम किशन फौजी आप बैठ जाएं। गुप्ता जी, आप भी बैठ जाएं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

वित्त मंत्री (प्रो० संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि जब बी०ए०सी० की मीटिंग हो रही थी कैप्टन अजय सिंह पहले से ही टाइप करके ले आए थे कि मैं इस प्रोसीडिंग्स का विरोध करता हूं । बी०ए०सी० में डिसकशन होती है उस डिसकशन के बाद विरोध जाहिर कर सकते हैं और वे विरोध पहले ही करके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि विरोध करना ही था इसलिए विरोध के लिए विरोध कर रहे थे।

वाक आउट

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, हम कैप्टन अजय सिंह यादव की नेमिंग के विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, मैं भी इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एवं हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य श्री रामकिशन फौजी एवं आजाद उम्मीदवार सर्वश्री देवराज दीवान, राजेन्द्र सिंह बिसला, दरियाव सिंह, उदय भान और जयप्रकाश गुप्ता विरोधस्वरूप सदन से वाकआउट कर गए।)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा का पहले से ही पता लग गया था क्योंकि इन्होंने चर्चा शुरू होने से पहले ही अपनी तरफ से लैटर दे दिया। बाकायदा लैटर टाईप किया हुआ था जिस में लिखा हुआ था कि मैं बी०ए०सी० की रिपोर्ट का विरोध करता हूं और मेरा यह डाईसैंटिंग नोट लिख लीजिए। स्पीकर सर, जब तक बी०ए०सी० की मीटिंग की प्रोसीडिंग्ज पूरी नहीं होती बातचीत पूरी नहीं होती और आप फैसला नहीं कर लेते कि कितने समय हाउस चलेगा, क्या-क्या बिजनैस आयेगा उससे पहले ही डाईसैंटिंग नोट दे दिया इसका मतलब यह हुआ कि ये तो प्री-प्लांड वे में आये थे और ये प्री-प्लानिंग करके आज आये हैं कि एक-एक करके किस प्रकार पहले शोर मचाना है। स्पीकर सर, किस प्रकार इन्होंने हाउस का समय खराब किया किस प्रकार से 15 मिनट तक चेयर के पास खड़े रहे अनरूली बिहेव करते रहे ताकि स्पीकर मजबूर होकर इनको हाउस से बाहर करे । स्पीकर सर, आपने इतनी उदारता दिखाई परन्तु ये सभी सदस्य मन बनाकर आये थे कि हमने हर हालत में हाउस से निकलना है इनके पास बोलने के लिए तो कुछ था नहीं इसलिए सारी कार्यवाही की गई।

शोक प्रस्ताव

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं सदन में एक और शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही बढ़िया साथी जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे श्री राधे श्याम शर्मा जी इस दुनिया में नहीं

रहे वे बहुत ही निर्भीक और निडर पत्रकार थे सबसे मिलनसार थे, मृदुभाषी थे। यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

श्री अध्यक्ष : मैं परम पिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार को इसकी सान्त्वना भेज दी जायेगी । अब मैं सभी सदस्यगण से अनुरोध करूंगा कि वे खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवगंत आत्मा के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया ।)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move —

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is —

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए /पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to re-lay on the Table of the House—

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 21/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 7th February, 2003 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 2003, as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 32/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March, 2003 regarding the Haryana General Sales Tax (IInd Amendment) Rules, 2003 as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2003 as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 132/H.A. 13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003 regarding the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Rules, 2003 as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 135/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003 regarding amendment in the Haryana Govt.Excise and Taxation Department Notification No. S.O.11/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated 27th January, 2003, as required under Section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 10/H.A. 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding exemption/reduction of Tax with effect from 22-1-2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by Section 11(1) of the Act *ibid* and all other enabling powers and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the Amendment in Haryana Govt. Excise and Taxation Department Notification No.S.O. 118/H.A. 13/2000/S. 11/2000 dated 20th Septemebr, 2000, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 12/H.A. 13/2000/S. 3/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding specification

Haryana Vidhan Sabha Secretariat

[Prof. Sampat Singh]

of rates of Tax on entry of goods into Local Area except those specified in Schedule A appended to the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Act *ibid* and all other enabling powers in this behalf and in supersession of Haryana Govt. Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 9/H.A. 13/2000/S. 3/2003 dated 27th January, 2003 as required under Ssection 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 5/H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 9th January, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules 2004, as required under Section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 15/H.A. 6/2003/S. 60/2004, dated the 4th February, 2004, regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2004, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Home Department Notification No. S.O. 44/C.A. 25/1955/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Hindu Marriage Registration (Amendment) Rules, 2004, as required under Section 8 (3) of the Hindu Marriage Act, 1955.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 45/H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Second Amendment Rules, 2004, as required under Section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Memorandum of Action Taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1999-2000, as required under Section 20 (2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2001-2002, as required under Section 19-A (3) of Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 3rd Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2001-2002, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 5th Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2001-2002, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

श्री जय प्रकाश बरवाला, ऐक्स एम०एल०ए०, (एम०पी०) के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh, M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (now M.P.) regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/ breach of privilege etc. by Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-MLA (now M.P.) on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh, M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-MLA (now M.P.) regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-MLA (now M.P.) on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, MLA and Shri Ram Kuwar Saini,

[Mr. Speaker]

MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-MLA (now M.P.) in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-MLA (now M.P.)in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, MLA and Shri Pawan Kumar, MLA for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav,

MLA breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, MLA and Shri Pawan Kumar, MLA for coming to/ remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Shri Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the Book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder,

breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Shri Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the Book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ breach of privileges etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 2001-2002 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Excess Demands Over Grants and Appropriation for the year 2001-2002.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Excess Demands Over Grants and Appropriation for the year 2001-2002.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 2001-2002 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

> That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,55,72,565/-be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,52,89,368/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,23,30,386/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Agriculture.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 2001-2002 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,55,72,565/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,52,89,368/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,23,30,386/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2001-2002 in respect of Agriculture.

The motion was carried.

एस०वाई०एल० नहर को पूरा करवाने संबंधी सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री जी आफिशियल रैज्योल्यूशन मूव करेगें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ--

कि यह सदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 जून, 2004 को सतलुज यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। इस ऐतिहासिक निर्णय से हरियाणा में खुशहाली और समृद्धि के सपने साकार होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून, 2004 को पंजाब का मुकदमा 'विद' कौस्ट खारिज हुए हरियाणा की क्रियान्वयन याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये :-

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

"पंजाब से नहर के कार्य को नियंत्रण में लेने के लिए भारत सरकार आज से एक मास के अन्दर-अन्दर एक केन्द्रीय एजेंसी नामजद करे। इसके बाद दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर पंजाब केन्द्रीय एजेंसी को कार्य सौंप दे। इस निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करवाने व समन्वय स्थापित करने के लिए आज से चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए। ऐसी समिति में हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए। केन्द्रीय एजेंसी के अमले को केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए।

सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा का किसान इस नहर के माध्यम से रावी-ब्यास नदियों के पानी में से अपना आबंटित हिस्सा लेने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। इस नहर के न बनने से राज्य की लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और हर वर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि पैदावार का नुकसान हो रहा है।

जल राष्ट्रीय सम्पदा है। इसका न्यायसंगत और समुचित उपयोग होना चाहिए। पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर न बनने के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। इस सदन का दृढ़ विश्वास है कि इस नहर का निर्माण कार्य पूरा होना न केवल हरियाणा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में है।

हरियाणा के शांतिप्रिय और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों ने न्याय प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाये । राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत ने हरियाणा प्रदेश के दावे को न्याय संगत ठहराया, जिससे हमारा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास और सुदृढ़ हुआ।

यह सदन माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के योगदान को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित करें और सतलुज यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में शेष निर्माण कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करवाएं।"

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लीयर कर देना चाहता हूं कि हमें विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहिए कि एस०वाई०एल० का जो बहुत पुराना मामला लम्बित पड़ा हुआ था उस बारे में एक ऐतिहासिक फैसला दे करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा इन्साफ किया है। मैं विशेष रूप से सभी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को हमें अधिक तूल नहीं देना चाहिए। यह कोई नहर बनाने या पानी लेने का मामला नहीं है बल्कि खास तौर से यह एक सम्मान का मामला है। भारतीय संस्कृति के मुताबिक हमारी तीन माताएं हैं। एक वह माता है जो हमें जन्म देती है, दूसरी वह माता है जो हमें दूध पिलाती है जिसे हम गऊ माता के नाम से पुकारते हैं और तीसरी धरती माता है जिसकी एक एक इंच की रक्षा के लिए हमारे नौजवान अपना बलिदान देते हैं। पीछे कारगिल की पहाड़ियों में इसी तरह का एक युद्ध लड़ा गया था। शायद उत्पादन की दृष्टि से वह क्षेत्र नकारा है परन्तु भारत माता की रक्षार्थ वहां पर हमारे नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर करके देश का मान बढ़ाया । यह एक अधिकार की बात है इसके लिए हर तरीके से लड़ाई लड़ी। मैं सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि

उस लड़ाई में सभी का सहयोग रहा। कोई इसका श्रेय ले यह ठीक बात नहीं है। मैं सबसे ज्यादा श्रेय उन्हें दे रहा हूं जिन्होंने हमारी मांगे मानी और हम उनके आभारी हैं। जिस ढंग से उन्होंने फैसला लिखा है उसके बाद इस में इफ-बट की गुंजाईश नहीं है। इसको ज्यादा प्रचारित करके कुछ हासिल करना या राजनीतिक लाभ उठाने की किसी को कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में अपने हिस्से के पानी की है। यह हमारा जो अधिकार था वह देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा हमें मिला है। इसके लिए हम सबको मिल करके सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें केन्द्र की सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी यह नहर बनाने का काम करवाये। पंजाब बड़ा भाई है। दो भाईयों का आपस में बंटवारा होता है। हमारा उनसे यही निवेदन है कि वे इसे विवाद में न डालें और जो हमारा हिस्सा है और हक है वह हमें दें। वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दृष्टिगत नहर के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न डालें। बल्कि स्नेह प्रदान करके छोटे भाई हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा एस०वाई०एल० को जल्द से जल्द बनाएं जिसकी वजह से न सिर्फ हरियाणा प्रदेश की तीन लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी बल्कि लाखों मीट्रिक टन ज्यादा खाद्यान्न भी पैदा होगा और हर साल एक हजार करोड़ रुपये का रैवेन्यू ज्यादा आएगा जिसकी वजह से हमारा प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा तथा इसका चहुमुखी विकास होगा। वैसे भी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आज पानी पाकिस्तान को अकारथ जा रहा है। जिससे हमारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे बोलने में संयम बरतें कहीं भाषण के हिसाब से किसी के दिमाग से कोई ऐसी चीज न निकल जाए जिसकी वजह से हमें कहीं और अधिक नुकसान न हो जाए। पंजाब तो निरन्तर इस प्रयास में है और इस मुद्दे को लटकाने के लिए वह निरन्तर हर रोज कई प्रकार की दरख्वास्तें देता रहा है। ठीक है, सरकार ने पैरवी करके उनके सारे दावे निरस्त किए हैं। लेकिन दोबारा विवाद में न पड़ कर इसके लिए मैं एक बात खासतौर पर कहना चाहूंगा कि पानी का तो प्रश्न ही नहीं है। इस वक्त तो प्रश्न नहर बनाने का है और नहर बननी चाहिये। पानी तो आपका तय है, पानी तो आपको मिला ही हुआ है और इराडी ट्रिब्यूनल इस पर विचार भी कर रहा है। पंजाब के लोग तो इसको लटकाने के लिए इस ट्रिब्यूनल को भी समाप्त करके इसकी जगह पर एक नया ट्रिब्यूनल लगाने की बात भी कर रहे हैं। कहीं जाने-अनजाने में किसी की जुबान से कोई ऐसा लफ्ज न निकल जाए जिससे किसी को बिलावजह की पीड़ा हो जाए और हमें उसका भी बहुत भारी नुकसान न हो जाए। इसलिए मैं खास तौर पर विनम्र निवेदन करूंगा कि "यह रैजोल्यूशन है, सबसे पहले तो यह सदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 जून, 2004 को एस०वाई०एल० नहर के पंजाब क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में दिए गए निर्णय का स्वागत करता और धन्यवाद करता है। इस ऐतिहासिक निर्णय से हरियाणा में खुशहाली और समृद्धि के सपने साकार होंगे।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून, 2004 को पंजाब का मुकदमों (विद कॉस्ट) खारिज करते हुए हरियाणा की क्रियान्वयन याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

> "पंजाब से नहर के कार्य को नियन्त्रण में लेने के लिए भारत सरकार आज से एक मास के अन्दर-अन्दर एक केन्द्रीय ऐजैंसी नामजद करे उसके बाद दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर पंजाब केन्द्रीय ऐजैंसी को कार्य सौंप दे।"

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा । मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्र की सरकार हमसे भी ज्यादा रूचि लेकर इस कार्य को सरअन्जाम दे रही है। कमेटी के गठन का लगभग निर्णय हो चुका है लेकिन फिर भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी किसी ऐजैंसी को यह कार्य सौंपे जो इस निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करवाने व गतिरोध समाप्त करने के लिए आज से चार सप्ताह के अन्दर -अन्दर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए।

"ऐसी समिति में हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए। केन्द्रीय ऐजैंसी के अमले को केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए।"

केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है कि इस प्रकार की कमेटी में किस किस्म के लोग लिए जाएं। हमने इसमें उनको लिखित रूप में भी दे दिया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए और इसमें केन्द्र के कैबिनेट सैक्रेटरी हों, हमारे उच्चाधिकारी भी इसमें शामिल हों ताकि विभाग को कोई दिक्कत और बाधा न हो जाए।

"एस०वाई०एल० नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा का किसान इस नहर के माध्यम से रावी-ब्यास के पानी में से अपना आबंटित हिस्सा लेने के लिए वर्षों से इन्तजार कर रहा है। इस नहर के न बनने से राज्य में लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और हर वर्ष एक हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि पैदावार का भी नुकसान हो रहा है।"

"जल राष्ट्रीय सम्पदा है। उसका न्यायसंगत और समुचित उपयोग होना चाहिए। एस०वाई०एल० नहर न बनने के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बहकर जा रहा है। इस सदन का दृढ़ विश्वास है कि इस नहर का निर्माण कार्य पूरा होना न केवल हरियाणा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में है।"

12.00 बजे "हरियाणा के शांतिप्रिय और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों ने न्याय प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाए। राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत ने हरियाणा प्रदेश के दावे को न्याय संगत ठहराया, जिससे हमारा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।"

"यह सदन माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के योगदान को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित करें और सतलुज यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में शेष निर्माण कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करवाएं।" ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से पुनः अनुरोध करूंगा कि सर्व-सम्मति से इस रैजोल्यूशन को हमें मंजूर कर लेना चाहिए। खासतौर से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर किसी को कोई राजनीतिक श्रेय लेने की सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरा प्रयास हमेशा यह रहा है और मैंने कान्फ्रैंसिज में भी और मीटिंग्ज में भी खुलकर एक बात कही

है हम श्रेय के भूखे नहीं हैं चूंकि हम सब लोगों ने मिल करके प्रयास किए हैं। हरियाणा बनाने के लिए, हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा के लोगों के अच्छे कार्यों के लिए और हरियाणा को और खुशहाल बना सकें इसके लिए मिलकर प्रयास करने चाहिएं। श्रेय तो जनता दिया करती है, श्रेय लेने की चेष्टा हम नहीं करते हैं। नहर बने, हरियाणा में पानी आए और हरियाणा की प्यासी धरती सिंचित हो। हमारे हिस्से का पानी अकार्थ पाकिस्तान में न जाए यह हमारी सोच है और इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए मैं सभी से फिर निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के हित को ध्यान में रख करके सर्व-सम्मति से इस रैजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

कि यह सदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 जून, 2004 सतलुज यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। इस ऐतिहासिक निर्णय से हरियाणा में खुशहाली और समृद्धि के सपने साकार होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून, 2004 को पंजाब का मुकदमा 'विद कौस्ट' खारिज हुए हरियाणा की क्रियान्वयन याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये :-

"पंजाब से नहर के कार्य को नियंत्रण में लेने के लिए भारत सरकार आज से एक मास के अन्दर-अन्दर एक केन्द्रीय एजेंसी नामजद करे। इसके बाद दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर पंजाब केन्द्रीय एजेंसी को कार्य सौंप दे। इस निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करवाने व समन्वय स्थापित करने के लिए आज से चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए। ऐसी समिति में हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए। केन्द्रीय एजेंसी के अमले को केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए।"

सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा का किसान इस नहर के माध्यम से रावी-ब्यास नदियों के पानी में से अपना आबंटित हिस्सा लेने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। इस नहर के न बनने से राज्य की लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और हर वर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि पैदावार का नुकसान हो रहा है।

जल राष्ट्रीय सम्पदा है। इसका न्यायसंगत और समुचित उपयोग होना चाहिए। पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर न बनने के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। इस सदन का दृढ़ विश्वास है कि इस नहर का निर्माण कार्य पूरा होना न केवल हरियाणा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में है।

हरियाणा के शांतिप्रिय और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों ने न्याय प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाये । राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत ने हरियाणा प्रदेश के दावे को न्याय संगत ठहराया, जिससे हमारा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास और सुदृढ़ हुआ।

यह सदन माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वे राष्ट्र

की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के योगदान को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित करें और सतलुज यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में शेष निर्माण कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करवाएं "।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में एक रैजोल्यूशन हाउस में रखा है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल का मसला तीस सालों से मतवातर संघर्ष में था और हरियाणा में जो भी सरकार बनी चाहे वह किसी भी पार्टी की बनी हो, उसने अपने तौर पर, पोलिटिकल इंफ्लूएंस के तौर पर भी पूरा प्रयास किया कि हरियाणा की जो जीवन रेखा है एस०वाई०एल० कैनाल किसी तरह से उसका पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं। कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह हरियाणा की जनता के हित का सवाल है और सब सरकारों ने इस मसले को सुलझाने के लिए प्रयास किए हैं। लेकिन जब हम अपने अपने प्रयासों से सरकारों के बिहाफ पर इस मसले को नहीं सुलझा सके तो आखिर में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से भी सहमत हूं कि जब 1995 में सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तो उसके बाद से जो भी सरकार आती रही उसने इस केस की पूरी पैरवी की और इसका नतीजा यह हुआ कि 15 जनवरी, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला हरियाणा के हक में दिया । हमने तो पहले भी मुख्यमंत्री जी से हाउस में कहा था कि जब 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया था तो इसको लागू करवाने में हमें दो साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा। यह मुझे समझ में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2004 में जो फैसला आया है इस फैसले में और 2002 के फैसले में मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष अंतर है। होना यह चाहिए था कि 2002 में इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद अगर पंजाब गवर्नमैंट इस नहर को नहीं बनवाती तो इसको बनाने की बात सैंट्रल गवर्नमैंट के अधिकार में थी उनको यह नहर बनवानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही हमने सैंट्रल गवर्नमैंट से इस बारे में प्रयास किए। इसलिए इसको बनवाने में यह कमी रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हम बहस में नहीं जाना चाहते । अब भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहता था और आपसे भी रिक्वैस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके इस मौके पर हमारे डिप्टी लीडर को भी हाउस में वापस बुला लें। हमने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में एक रैजोल्यूशन दिया था, हमारे डिप्टी लीडर ने इस बारे में अपना एक रैजोल्यूशन दिया था लेकिन आपने हमारा वह रैजोल्यूशन कैंसिल कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मांगेराम जी, इस तरह का रैजोल्यूशन 15 दिन पहले आना चाहिए।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा वह रैजोल्यूशन तो आपने टाईम की बात कहकर कैंसिल कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में रैजोल्यूशन हाउस में पेश कर दिया। हमारी आपसे रिक्वैस्ट है कि मुख्यमंत्री जी आल पार्टी विशेषकर कांग्रेस पार्टी जोकि सबसे बड़ी पार्टी है, यदि उसका समर्थन चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि हमारे डिप्टी लीडर कैप्टन अजय सिंह, जिनको किसी कारणवश आपने नेम कर दिया है,को वापस

हाउस में बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हमें उनको संयम खो देने के कारण नेम करना पड़ा था।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के वे डिप्टी लीडर हैं वे आपका सम्मान करते हैं इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि उनको वापस हाउस में बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सम्मान की भी तो सीमा होती है लेकिन वे तो सीमा ही लांघ गए। मांगेराम जी, आप एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में बोलिए।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल के मामले में कांग्रेस पार्टी समर्थन करना चाहती है इसलिए हमारी सबकी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप हमारे डिप्टी लीडर को हाउस में बुला लें। हम तो खुशी से इस बारे में समर्थन देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, अगर आप उन पर मेहरबान होते तो आप उनको पूरा ही लीडर बनाते लेकिन आप तो उनको डिप्टी लीडर ही रखना चाहते हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या आप उस फैसले पर बजिद हैं ?अब इतने बड़े मसले पर हरियाणा की जीवन रेखा के ऊपर हमारा समर्थन आप ले रहे हैं आप हमारी इस छोटी सी रिक्वैस्ट को नहीं मानते हैं क्या दोबारा उनको हाउस में बुलाना कोई बहुत बड़ी बात है ?

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, क्या एस०वाई०एल० पर आपकी बात समाप्त हो गई है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी एस०वाई०एल० पर सबका समर्थन चाहते हैं हमें आप इस बात को लेकर मजबूर न करें।

श्री अध्यक्ष: यह तो आप पर निर्भर करता है हर मैंबर पर निर्भर करता है वह समर्थन देना चाहता है तो दे नहीं देना चाहता है तो न दे। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री मांगे राम गुप्ता : संघर्ष में मुख्यमंत्री जी का हमेशा साथ देने का हमने फैसला किया है हमारा कोई विरोध नहीं है आपको हमारे डिप्टी लीडर को बुलाने में क्या दिक्कत आ रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आपको ध्यान नहीं है, आपने सदा विरोध किया है इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमें अब विरोध नहीं करना चाहिए । इस बारे में जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई उसका आपने बायकाट किया । प्रधानमंत्री से जाकर मिले उस बारे में मैं जवाब देते समय बताऊंगा । अब आपसे फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम पंजाब को देखकर तो सबक लेना चाहिए और सर्वसम्मत निर्णय लेना चाहिए।

श्री मांगे राम गुप्ता : हम इसका समर्थन हर तरह से करते हैं पहले भी किया था। पहले भी हमने कहा था कि एस०वाई०एल० के मुद्दे पर हम विधायक इस्तीफे देने के लिए भी तैयार हैं। हम एस०वाई०एल० के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे गुप्ता जी बार-बार जान के छेड़ते हैं और

सारी बातों को आप छोड़िये। एस०वाई०एल० का फैसला 4 जून को हुआ और उससे पूरे हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई, मिठाईयां बांटी गई, दीपमालाएं की गई लेकिन किसी एक कांग्रेसी ने अगर दीपमाला की हो तो बताएं। इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, अब आप बैठ जाएं। अब दूसरे मैंबर बोलेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : दूसरा मैंबर तब बोलेगा जब आप हमारे डिप्टी लीडर को हाउस में दोबारा बुला लेंगे। उससे पहले हमारा कोई मैंबर नहीं बोलेगा।

चौ० जगजीत सिंह : सर, सबकी यही रिक्वैस्ट है कि आप कैप्टन अजय सिंह यादव को वापस बुला लीजिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जैसा कि माननीय मांगे राम गुप्ता जी ने आपसे निवेदन किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में रखा है एक तो यह बात सही है कि इसमें हमें ज्यादा इधर-उधर की बात नहीं रखनी चाहिए ताकि कोई गलत बात न निकले लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन माननीय प्रधान मंत्री जी से और भारत सरकार से अनुरोध करता है। अगर यह सदन ठीक समझे तो इसके अलावा मेरा सुझाव यह है कि इसमें आपको प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों से भी अनुरोध करना चाहिए कि यह सदन पंजाब सरकार से भी अनुरोध करता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्यता दें और उसको लागू होने में हमारा सहयोग करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय मैंने एक दफा नहीं कहा बल्कि कई दफा कहा है लेकिन ताजा-ताजा दल बदलने के बाद भाषा और वेशभूषा ये सब बदल जाते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह गलत शब्द नहीं है श्री मांगे राम गुप्ता जी ने ठीक कहा है हमारे उप नेता कैप्टन अजय सिंह यादव को आपने गेम करके सदन से बाहर निकाल दिया है उनको आप वापिस बुला लें क्योंकि सभी सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं उनको बुलाना आपके लिए कोई गैर कानूनी नहीं है उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कानून तोड़ा है तभी तो बाहर भेजा है उन्होंने जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं किया इसलिए उनको बाहर निकाला गया है। अब आप बैठ जाईये आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री धर्मबीर सिंह (लोशाम) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें इन्होंने खुलेतौर पर कहा कि एक मुश्त होकर इसमें सभी को साथ देना चाहिए। एक बात इन्होंने गलत कही कि हमने कभी साथ नहीं दिया सभी पार्टियों ने मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार दिया था कि वे एस०वाई०एल० के बारे में जो भी फैसला करेंगे उस फैसले में विपक्ष की कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। स्पीकर सर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खुलेतौर पर कहा कि सारा सदन हमारा साथ दे। स्पीकर सर, आपने कई बार सदन के नेता की तरफ देख लिया इसलिए पहले आप हमारे उप-नेता कैप्टन अजय सिंह यादव को हाउस में वापिस बुलाईये वे हमारी पार्टी के उप-नेता है आप उन्हें हाउस में बुलाईए ताकि हमारे नेता यहां पर उपस्थित नहीं है इसलिए वे नेता का काम कर रहे हैं, आप उन्हें हाउस में बुलाइये ताकि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर एस०वाई०एल० के प्रस्ताव पर आपका साथ दे सके।

श्री लछमन दास अरोड़ा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहना है हमारी सारी पार्टी की तरफ से आपसे रिक्वैस्ट है कि आप हमारे उप-नेता को वापिस बुला लें। जहां तक एस०वाई०एल० प्रस्ताव की बात है, उसमें हम सभी आपके साथ हैं।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है हम सब उसका समर्थन करते हैं लेकिन हमारा एक सुझाव है कि हमारे डिप्टी लीडर कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी इस बारे में एक प्रस्ताव सदन में रखा था लेकिन उसको आपने टैक्नीकल ग्राउंड्ज पर रिजैक्ट कर दिया। हम सभी का आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर सारा सदन एक मत है इसलिए हमारे प्रस्ताव को भी क्लब कर लें। यह पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं है सब लोग पार्टी पोलिटिक्स से उपर उठकर इस प्रस्ताव पर एक फैसला लें क्योंकि हम प्रदेश के हित और देश के हित में काम कर रहे हैं। सालों से अपेक्षित जो फैसला था वह फैसला आया है आज यह आशा की किरण नजर आने लगी है। हम कहते थे कि पानी तो आएगा लेकिन खेतों में नहीं बल्कि आंखों में आएगा। धरती पर पानी मिलने की गुंजायश नजर आने लगी है तो हम इसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं। हम तहे दिल से सरकार के साथ है। लेकिन जो हमारे लीडर हैं आज वे हाउस के अन्दर नहीं हैं उनको आपने नेम करके हाउस से बाहर निकाल दिया है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उनको वापस बुला लें वह भी अपने विचार रख लेंगे, हो सकता है कि वे हमसे और आप से भी अच्छे सुझाव दे दें यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : उनके आचरण की वजह से उनको निकालना पड़ा। उनका आचरण ठीक नहीं था, उनकी भाषा, कार्यशैली और बोलने का तरीका ठीक नहीं था इसलिए उन्हें हाउस से निकाला गया है। मुझे कोई उनको निकालने का चाव नहीं था मैंने तो उनको सुधारने का बहुत समय दिया लेकिन उनका तो एक ही फार्मूला है कि हम नहीं सुधरेंगे।

चौ० जगजीत सिंह (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं लेकिन हम सभी सदस्यों की एक ही रिक्वैस्ट है कि आप हमारे लीडर को वापस बुला लें ताकि हाउस आराम से चल सके और जो सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं वे अपने सुझाव दे सकें इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है इसलिए आप उनको बुला लें।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह (जुलाना) : स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं लेकिन मेरी भी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि आप कैप्टन अजय सिंह यादव को हाउस में वापस बुला लें अन्यथा इसके विरोध में हमारी पार्टी वाक-आउट करेगी।

वाक-आउट

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारे डिप्टी लीडर कैप्टन अजय सिंह यादव को हाउस में नहीं बुलाएंगे तो हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम प्रस्ताव रखा है विपक्ष के सदस्य इस प्रस्ताव पर अगर वाक आउट करते हैं तो यह दुर्भाग्य है, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस रैजोलूशन पर कांग्रेस पार्टी वाक आउट कर रही है इसका मतलब है कि ये नंगे हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के मुद्दे पर इनको वाक आउट नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं लग रहा । (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम एस०वाई०एल० के मुद्दे पर वाक आउट नहीं कर रहे, एस०वाई०एल० के प्रस्ताव का तो हम समर्थन करते हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव को न बुलाने पर हम वाक आउट कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एस०वाई०एल० के मुद्दे पर अपनी बात बोलें और मुख्यमंत्री महोदय आपकी बातों का रिप्लाई करेंगे। आप सदन में आराम से बैठकर सुनिए और हाउस में कोपरेट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : मुख्यमंत्री महोदय जी, हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि आप अध्यक्ष महोदय को कहें कि वे कैप्टन साहब को हाउस में बुलाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब इस प्रस्ताव का समर्थन करें या न करें, यह आपकी मर्जी है इसके लिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए) । बिना परमीशन के जो भी सदस्य बोल रहे हैं यह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) मांगेराम गुप्ता जी, आप बैठ जाएं या चले जाएं।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यदि कैप्टन अजय सिंह यादव को हाउस में बुलाने की हमारी बात आप नहीं मान रहे तो हम ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य और निर्दलीय विधायक श्री देवराज दीवान, श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री दरियाव सिंह, श्री उदय भान और श्री जय प्रकाश गुप्ता कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का अनुकरण करते हुए ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री रामकिशन फौजी (बवानी खेड़ा) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता

ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आपकी पार्टी तो कांग्रेस में चली गई है।

श्री राम किशन फौजी : एक महीने पहले ये भाजपा को गाली दे रहे थे और अब भाजपा भी इनैलो में शामिल हो गई है इसलिए यह कोई खास बात नहीं है यह तो चलता रहता है। हम कोई कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, हम तो कांग्रेस के कैंडीडेट का समर्थन कर रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : कांग्रेस का कैंडीडेट कौन है ?

श्री राम किशन फौजी : सम्पत सिंह जी, आप पढ़े लिखे नहीं हैं क्या, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। आपको किरण जी के बारे में पता नहीं है। क्या अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के प्रस्ताव का सभी साथी समर्थन करना चाहते हैं इसलिए मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि कैप्टन साहब को बुला लिया जाए। नहीं तो इसका गलत प्रदर्शन जाएगा और गलत संदेश जाएगा। इस मुद्दे पर हम सब के समर्थन से पंजाब सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार पर दबाव बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप यह बताएं कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इस फैसले पर हमने खुशियां नहीं मनाई, हमने तो भिवानी और तोशाम से फुलझड़ियां मंगाकर खुशियां मनाई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कैप्टन साहब को बुलाकर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया जाए।

वित्तमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में जो प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही अहम प्रस्ताव है और पूरे हरियाणा प्रदेश को जब से हरियाणा बना है तब से इस पानी का इंतजार रहा है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब अलग होने से पहले ही पानी के लिये फैसले हुए हुए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से पानी खरीदा था और इसका जिक्र तभी से चल रहा है और अपने हिस्से का पानी लेने में हमें सफलता अब मिली है जो कि सबसे हिस्टोरिकल डे है। जैसे-जैसे हरियाणा की हिस्ट्री में हिस्टोरिकल डेज आयेंगे उनमें एक नवम्बर, 1966, 15 जनवरी, 2002, और 4 जून, 2004 के दिन सबसे हिस्टोरिकल डेज होंगे और सबसे फोरच्यूनेट डेज भी ये ही होंगे। लेकिन स्पीकर सर, अनफोरच्यूनेटली जो पार्टी सदन से बाहर जाकर, हाउस के टोप पर जाकर एस०वाई०एल० के पानी पर तरह-तरह की राजनैतिक बातें करती है आज उस पार्टी के सदस्यों ने अपने आपको जिस तरह से नंगा किया है हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है इस बारे में उन्होंने जो एक्सपोजर अपना दिया है आज तो हरियाणा प्रदेश की जनता को पता लग गया है कि कितने है लोग इसमें इन्ट्रस्टिड हैं। मुख्यमंत्री जी ने टोटली नॉन पौलिटिकल वे में बड़ी हलीमी से, नम्रता से निवेदन भी किया था कि क्योंकि यह सैंसिटिव मैटर है इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं आनी चाहिए ताकि कहीं स्टेट को नुकसान न हो जाये। मैं और मेरी सरकार इसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहते। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा था कि यदि इसका कोई श्रेय लेना चाहता है तो वह आगे आकर इसको तैयार करवाये हम श्रेय देने के लिए तैयार हैं स्पीकर सर, माननीय

[प्रो० सम्पत सिंह]

विपक्ष के साथियों ने जिस तरह से बिहेव किया वह आपने देखा ही है। सवाल यह नहीं है कि रैजोल्यूशन कौन लेकर आया। स्पीकर सर, यह फैसला आप करते हैं कि कौन सी रैजोल्यूशन इन आर्डर है, कौन सा मोशन इन आर्डर है और कौन सा मोशन इन आर्डर नहीं है। स्पीकर सर, आप सदन के कस्टोडियन हैं कौन मैम्बर क्या बिहेव कर रहा है, यह आपको देखना है। अगर free for all हो जाये तो हाउस नहीं चल पायेगा। स्पीकर सर, जो हमारे अधिकार हैं उनके साथ-साथ कर्त्तव्य भी हैं और जनता के प्रति जो हमारे कर्त्तव्य हैं उनको हमें निभाना चाहिए। जिस तरह से पहले डा० रघुबीर सिंह कादियान ने बिहेव किया 10 मिनट तक सदन का समय बर्बाद किया। स्पीकर सर, हम दाद देते हैं आपकी हिम्मत और पेशैंस की। जिस तरीके से 10 मिनट तक इस टेबल के आगे आकर उन्होंने बिहेव किया आपने उनको वार्न किया लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में आपने बड़े भारी मन से उनको नेम किया। स्पीकर सर, इस सैशन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि यह प्रस्ताव यूनानीमसली पास होना । स्पीकर सर, उसके बाद बिजनेस एडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट पास हो गई, सारी बातें हो गई। विपक्ष के साथी वाक आउट करके चले गये थे और फिर आ गये। उसके बाद कैप्टन अजय सिंह जी जो अपने आपको अपनी पार्टी का उप-नेता कहते हैं ने जिस तहर का बिहेव किया वह ठीक नहीं किया। स्पीकर सर, इतना कहना कि इतनी बार चुनकर आ गये, सवाल चुनकर आने का नहीं है। एक बार-चुनकर आये उस मैंबर के अधिकार भी वही हैं जो 10 बार चुनकर आये मैंबर के हैं। हर मैंबर के अधिकार एक जैसे हैं। सवाल बारी का नहीं है कि कौन कितनी बार चुनकर आया है, सवाल बिहेवियर का है, अनुशासन का है, कानून का है, संवैधानिक परम्पराओं का है। आपने उनको वार्न भी किया उसके बावजूद भी बिना ध्यान दिए जिस तरीके से कैप्टन साहब ने हाउस की कार्यवाही रोकी और unbecoming of a Member type व्यवहार किया उसके बाद आपने बड़े भारी मन से उनको नेम किया। स्पीकर सर, विपक्ष के बाकी सदस्यों ने भी इसी तरह का व्यवहार किया। जैसा कि मैंने बताया था कि बिजनेस ऐडवाजरी कमेटी की मीटिंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने डाईसैंटिंग नोट दे दिया। इससे जाहिर होता है कि ये लोग preplanned तरीके से आये थे कि आज ये एक-एक करके नेम होकर जायेंगे। अपने आपको राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टी के सदस्य इस तरह का व्यवहार करें यह ठीक नहीं है। इससे अनफोरच्यूनेट डे कांग्रेस के लिए और हरियाणा की जनता के लिए नहीं हो सकता । विपक्ष के साथियों को चाहिए था कि यह प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए था इसको वे यूनानीमसली पास करते और सदन में अपना व्यवहार ठीक रखते । यहां पर यूनानीमसली पास करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है और वे उसका विरोध करते हुए वाक आउट करते हैं इससे फालतू गलत बात कांग्रेस के लिए और नहीं हो सकती । मांगे राम जी यहां पर बोलते हुए कह रहे थे कि हम तो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। स्पीकर साहब, इस्तीफा देने के लिए मादा होना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में हमने इस्तीफा दिया था। एक बार नहीं बल्कि जब जब भी हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ अन्याय हुआ तो हमने डटकर उसका सामना किया। 24 जुलाई, 1985 को जमना ऐकोर्ड के संबंध में चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और हमारी पार्टी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया था । आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई। इससे बड़ी जीत स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के लिए और नहीं हो सकती । सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अब चौधरी देवी लाल जी के सपने पूरे होने जा रहे

हैं। ये इस्तीफे की बात तो करते हैं लेकिन जब इनकी सरकार वहां पर थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे अच्छे वकील इंगेज करके जिस तरीके से यह लड़ाई लड़ी वह सभी को पता है और उसी का नतीजा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी, 2002 को अपना फैसला दिया कि यह नहर पंजाब सरकार एक साल के अन्दर अन्दर बनाए। जब पंजाब सरकार ने यह नहर नहीं बनाई तो फिर दुबारा 18 दिसम्बर, 2002 को हमारी सरकार की तरफ से एक और याचिका दायर की गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको इम्पलीमेंट किया जाये यानि इस फैसले को इम्पलीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी रिट फाईल की । इस नहर को बनाये जाने के लिए 15 जनवरी, 2003 की डैड लाईन थी लेकिन हमारी सरकार ने एक महीना पहले सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उनको इम्पलीमेंट करवाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छे अच्छे वकील किए जिसका नतीजा आज हमारे सामने है, इससे बड़ी कानूनी जीत हरियाणा प्रान्त के लिए नहीं हो सकती थी। इस कानूनी लड़ाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हित सुरक्षित किए हैं। हमारे पंजाब के भाई कहते हैं कि हम इसके लिए रीकन्सीडेशन रिट दायर करेंगे। इस संबंध में अब तक जितने भी फैसले हुए हैं वे हमारे ही हक में हुए हैं, चाहे रैपेरियन डिसीजन हो या कोई और फैसला हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अच्छे अच्छे वकील करने के कारण ही अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला इस एस०वाई०एल० के बारे में 4 जनवरी, 2004 को दिया है वह एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे अच्छा फैसला हरियाणा के लिए और क्या हो सकता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मामले में गहरी रूचि होने के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर पर मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव आज इस हाउस में रखा है वह सर्वसम्मति से पास करने के लिए रखा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा के किसानों के सूखे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हरियाणा की जनता के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। इस बारे में मेरा कहना यह भी है कि इस विषय पर राजनीतिक दलों को श्रेय लेने की बात नहीं करनी चाहिए। पिछले करीब 30 सालों से लगातार हम पानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में सभी दलों की सरकारें रहीं। ऐसा समय भी आया जब प्रदेश में और केन्द्र में एक ही पार्टी की या सहयोगी दलों की पार्टियों की सरकारें रहीं लेकिन नहर के निर्माण के लिए सर्वसम्मति नहीं बन सकी। इस साल खासकर सर्वोच्च न्यायालय को यह फैसला सरकार की पैटीशन पर करना पड़ा। इसके लिए एकमात्र श्रेय अगर किसी को है तो वह इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है। मेरे साथी मांगे राम जी इस समय सदन में नहीं हैं वे कह रहे थे कि वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था। शायद उनको यह ध्यान नहीं था कि 2002 में पंजाब की सरकार ने रिव्यू पैटीशन दी थी जिसके बाद यह फैसला आया है। वे चाहते तो अपनी पार्टी के सहयोगियों को मना सकते थे लेकिन मुझे इस मामले में कोई शक नहीं कि हरियाणा के राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां हरियाणा के हितों की बात करते रहे हैं और पंजाब के राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां पंजाब के हितों की बात करते रहे हैं इसलिए राज्य दलों या राज्य की राजनीतिक पार्टियों के बीच

[कृष्णपाल गुर्जर]

फैसला होना मुमकिन नहीं था। अभी ये 1985 में एस०वाई०एल० के मुद्दे पर इस्तीफा देने की बात कह रहे थे यह उनके दिलों की बात नहीं है उनके दिलों में इतनी त्याग की भावना नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डा० मंगल सैन ने ऐसा हौंसला दिखाया था चौधरी देवी लाल जी ने ऐसा हौंसला दिखाया था मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि आज सभी दलों की सहमति से एस०वाई०एल० के ऊपर सी०एम०साहब का जो प्रस्ताव आया था सभी दल उसका समर्थन करते। उससे प्रदेश की जनता में एक बहुत ही अच्छा सन्देश जाता लेकिन स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी कुर्सी पर बैठकर दिल भी बड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के उप-नेता ने कोई नासमझी कर दी थी तो उसकी अनदेखी की जा सकती थी उसको माफ किया जा सकता था उनको मना कर तथा हाउस में बुला कर उनके दल की सहमति भी ले ली जाती तो हरियाणा की जनता के लिए यह बहुत ही अच्छी बात होती तथा माहौल को ठीक किया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी इतने अहम तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव का बहिष्कार कर चुकी है जोकि उनके लिए तो अच्छा है ही नहीं लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। हम को इस बारे में अपने पड़ौसी राज्य पंजाब से सीख लेनी चाहिए कि इस प्रस्ताव पर पंजाब के सभी राजनीतिक दल एकमत हैं उनका मन एक है और उनकी इच्छाशक्ति भी एक है। हम सब के लिए यह बात दुखदाई है कि हरियाणा में सभी पार्टियों का एक मन और एक इच्छाशक्ति नहीं बन सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कैप्टन साहब को कांग्रेस पार्टी ने अपना उप-नेता बनाया अगर वे गलती नहीं करते और इतने काबिल होते और कम से कम इस बात पर गौर कर लेते और ठीक व्यवहार करते तो कांग्रेस पार्टी उन्हें नेता बना कर ही भेजती । लेकिन जो हो गया उसे वापिस नहीं लाया जा सकता है। मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति की बात, कोई राजनीतिक श्रेय लेने की बात या लाभ-हानि की बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, भारतीय जनता पार्टी एस०वाई०एल० के मामले में इनके साथ है। भारत सरकार से और इस देश के प्रधान मंत्री जी से इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के सुर में सुर मिलाकर मांग करती है कि एस०वाई०एल० नहर के निर्माण को जल्दी से जल्दी और तत्परता से बनवाने का कष्ट करें। मैं एक बार फिर सदन में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एस०वाई०एल० के मामले में मुख्यमंत्री जी के साथ है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

Mr. Speaker : Question is—

That the House hails the decision of Hon'ble Supreme Court delivered on June 4, 2004 to get the Sutlej Yamuna Link Canal completed in Punjab territory and also expresses its gratitude to the Supreme Court for its verdict. This historic decision would usher a new era of prosperity in Haryana.

The Hon'ble Supreme Court has issued the following directions while accepting Haryana's execution application and dismissing the Suit of Punjab with costs on June 4, 2004 :—

"The Union of India is to mobilize a Central Agency to take control of the canal works from Punjab within a month from today. Punjab must hand over the works to the Central Agency within two weeks thereafter. An Empowered

Committee should be set up to co-ordinate and facilitate the early implementation of the decree within four weeks from today. Representatives of the States of Haryana and Punjab should be included in such Committee. The Central and the Punjab Governments should provide adequate security for the staff of the Central Agency.";

Sutlej Yamuna Link Canal is the life line of Haryana. The farmers of Haryana had been waiting for several long years to get their allotted share of Ravi-Beas waters through this canal. About three lakh hectares of land of the State is deprived of irrigation facilities due to the non-completion of the canal and the State is suffering a loss of agricultural produce valued at over Rs. 1000/- crore per annum.

Water is a national asset. It should be used judiciously and in the most optimum manner. Large quantities of water of Sutlej, Ravi and Beas rivers are flowing away to Pakistan as a result of the non-completion of Sutlej-Yamuna Link Canal in Punjab territory. This House is of the firm belief that the completion of the canal is not only in the interest of Haryana State, but in the larger interest of nation as a whole.

The peace-loving people of Haryana, who have great faith in democratic values, have resorted to Constitutional remedies to get justice for Haryana. The Supreme Court of the country has fully upheld the cause of Haryana and this has further strengthened our belief in Constitutional institutions.

This House appeals to Hon'ble Prime Minister and the Government of India to get the decision of the Supreme Court implemented keeping in view the contribution of agriculture in the economy of the country, and get the remaining portion of Sutlej-Yamuna Link Canal completed in Punjab territory at the earliest possible.".

The motion was carried .

The Resolution was passed.

विधान कार्य—

(i). दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐशन (नं0 3) बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपिल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2004 .

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses -2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii). दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एण्ड कण्ट्रोल्ड ऐरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री बीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क

तथा नियंत्रित क्षेत्र विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(IV). दि रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिचुअल ऑफैण्डर्ज (पंजाब) हरियाणा रिपील बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v). दि पंजाब हैबिचुअल औफैण्डर्ज (कण्ट्रोल एण्ड रिफोर्म) हरियाणा रिपील बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi). दि ईस्ट पंजाब मोलेसिज(कण्ट्रोल) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2004

Sir, I also beg to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii). दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2004.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2004

Sir, I also beg to move—

The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Vidhan Sabha Secretariat Haryana Chandigarh LIBRARY

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned *sinedie.*

*13. 00 hrs. (The Sabha then *adjourned *sinedie.*

38428—H.V.S.—H.G.P., Chd.